# हरियाणा विधान सभा

# की

# कार्यवाही

05 मार्च, 2018

खण्ड–1, अंक–1

अधिकृत विवरण

## विषय सूची

सोमवार, 05 मार्च, 2018


| | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| राज्यपाल महोदय का अभिभाषण | 4 |
| शोक प्रस्ताव | 32 |
| आंगनवाड़ी वर्करों/सहायकों की मांगों/आंदोलन का मामला उठाना | 40 |
| घोषणाएंः– | 40 |
| (क) अध्यक्ष महोदय द्वारा चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची | |
| (ख) सचिव द्वारा | 41 |
| राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी | |
| कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट पेश करना | 42 |
| ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना | 45 |
| सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज–पत्र | 48 |
| विशेषाधिकार मामले के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति का चौथा प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उस पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना | 56 |
| विशेषाधिकार मामले के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति का तीसरा प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उस पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना | 57 |

विशेषाधिकार मामले के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उस पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना 58

# हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 05 मार्च, 2018

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में दोपहर 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

———————

## राज्यपाल का अभिभाषण

## (सदन की मेज पर रखी गई प्रति)

**श्री अध्यक्षः** माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 18 के अनुसरण में, मुझे यह सूचना देनी है कि संविधान के अनुच्छेद 176–(1) के अधीन राज्यपाल महोदय ने आज दिनांक 05 मार्च, 2018 को 2:00 बजे मध्याह्न–पश्चात हरियाणा विधान सभा को सम्बोधित करने की कृपा की है। अभिभाषण की एक प्रति सदन के पटल पर रखी जाती है।

**(राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति सदन के पटल पर रखी गई।)**

**माननीय अध्यक्ष महोदय तथा सम्मानित सभासदो !**

मैं 13वीं हरियाणा विधान सभा के 11वें सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक पृथक राज्य के रूप में हरियाणा के गठन के स्वर्ण जयंती समारोह भव्य रूप से वर्षभर आयोजित किए गए। मुझे खुषी है कि हर नागरिक आज गर्वित महसूस कर रहा है और **हरियाणा एक–हरियाणवी एक** की भावना को प्रोत्साहित कर रहा है। उचित भी है क्योंकि मेरी सरकार अपने गठन के समय से ही सामाजिक–आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर नई उपलब्धियां दर्ज कर रही है।

2. यह वास्तव में गर्व की बात है कि हरियाणा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, जो कैरोसीन मुक्त है, जहां पंचायती राज संस्थान का कोई भी सदस्य अषिक्षित या बैंक ऋण या बिजली बिल का डिफाल्टर नहीं है, जो षिक्षित बेरोजगार युवाओं को 100 घण्टे का वैतनिक रोजगार सुनिष्चित करता है और इस बात की गारंटी देता है कि आलू, प्याज, टमाटर या गोभी की पैदावार करने वाले किसान को कभी नुकसान नहीं होगा, चाहे उसके उत्पादों का बिक्री मूल्य कुछ भी हो। कन्या भ्रूण हत्या की कुप्रथा को समाप्त करने और खुले में शौच के कलंक को मिटाने के हमारे प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है।

3. हरियाणा सरकार की विभिन्न नौकरियों में 20,000 से अधिक युवाओं की भर्ती में पूर्ण पारदर्षिता और निष्पक्षता के नये अनुभव से उत्साहित हर युवक एवं युवती को अब पूर्ण विष्वास है कि 50,000 से अधिक पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया में लेषमात्र भी भाई–भतीजावाद, पक्षपात या भ्रष्टाचार नहीं होगा।

4. मेरी सरकार का लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 2022 से पूर्व किसानों की आय को दोगुना करने के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने वाला हरियाणा देष का

पहला राज्य बने। सरकार ने इस दिषा में अनेक आरम्भिक कदम उठा लिए हैं। उदाहरण के तौर पर 30 वर्षों की एक लम्बी और शुष्क अवधि के बाद हमने दक्षिणी हरियाणा के मेहनतकष किसानों के सूखे खेतों की सिंचाई के लिए लगभग सभी माइनरों और डिस्ट्रीब्यूटरियों की 300 से अधिक टेलों पर पानी पहुंचाया है। मेरी सरकार के ठोस प्रयासों के फलस्वरूप राष्ट्रपति संदर्भ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया। हम तब से सतलुज–यमुना लिंक नहर के शेष भाग के चिरलम्बित निर्माण कार्य को शुरू करवाने के मामले की जोरदार पैरवी कर रहे हैं।

5. क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट 'स्टेट्स ऑफ ग्रोथ' में तीन मुख्य व्यापक आर्थिक मापदंडों–विकास, मुद्रास्फीति और वित्तीय स्थिति पर हमारे प्रदर्शन के आधार पर वर्ष 2017 तक हरियाणा को भारत के सबसे तेजी से आगे बढ़ते राज्यों की श्रेणी में रखा है, जिसमें गुजरात और मध्य प्रदेश भी षामिल हैं। अग्रिम अनुमानों के अनुसार, हमारे राज्य में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2016–17 के 1,45,163 रुपये की तुलना में वर्ष 2017–18 में बढ़कर 1,54,587 रुपये हो गई जोकि 6.5 प्रतिषत की वृद्धि दर्षाती है। चालू मूल्यों पर हमारी प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2017–18 में 1,96,982 रुपये है। हमने जीएसटी के तहत रिटर्न–फाइलिंग अनुपालन और कर संग्रहण के मामले में बहुत अच्छा प्रदर्षन किया है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि हमारा छोटा सा राज्य कर संग्रहण के मामले में केवल महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात के बाद 5वें स्थान पर है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर राज्य डिजिटलीकरण के मार्ग पर अग्रसर है। विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों के कार्यालयों में कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता, प्रोत्साहन, प्रशिक्षण और प्वाइंट ऑफ सेल मशीनों की स्थापना करने जैसे उठाए गये ठोस कदमों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

6. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जनवरी, 2015 में पानीपत से शुरू किए गए **'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ'** कार्यक्रम के क्रियान्वयन में मेरी सरकार ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। हरियाणा में वर्ष 2011 में जन्म के समय लिंगानुपात 833 था और दिसंबर, 2014 में 871 था, जो दिसम्बर 2017 में बढ़कर 914 हो गया। इस परिवर्तन को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है।

7. मेरी सरकार नागरिकों के लिए सेवा प्रदायगी तंत्र में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में दृढ़ विष्वास रखती है। इस समय **सिम्पल ऑल इंक्लूसिव रियलटाइम एक्षन ओरियंटिड लॉन्ग–लास्टिंग (सरल)** प्लेटफॉर्म, जोकि एक स्थान पर नागरिक सेवाएं प्रदान करने का एक एकीकृत मंच है, पर 106 सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आगामी 14 अप्रैल, 2018 को डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की जयंती से सेवा का

अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित सभी 387 नागरिक–केंद्रित सेवाएं और 31 विभागों से संबंधित स्कीमों को भी सरल पोर्टल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

8. मेरी सरकार ने हर तहसील पर **पंडित दीनदयाल अंत्योदय केंद्र** स्थापित करने का निर्णय लिया है ताकि सभी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो, जहां लाभार्थी अपनी पात्रता देख सकें और कल्याणकारी योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन कर सकें। ये केंद्र अंत्योदय की सच्ची भावना को साकार करेंगे तथा अंतिम व्यक्ति तक सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ शीघ्र पहुंचना सुनिष्चित होगा।

9. हरियाणा को 1 अप्रैल, 2017 से पूर्णतः कैरोसीन मुक्त बनाने के लिए मेरी सरकार ने **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना** के तहत राज्य बीपीएल सूची के लाभानुभोगियों को एलपीजी कनेक्शन देने पर 1600 रुपये की सब्सिडी देने का साहसिक निर्णय लिया। दिसम्बर, 2017 तक कुल 4,78,000 नये एलपीजी कनेक्षन जारी किए गये हैं, जिससे गृहणियों को खाना बनाते समय धुआं मुक्त और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध हुआ है।

10. मेरी सरकार अपने कर्मचारियों के लिए 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने वाली पहली राज्य सरकार है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार हरियाणा के सभी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन को भी संशोधित किया गया है। अनुबंध कर्मचारियों को भी वेतन में कम से कम 14.29 प्रतिषत की वृद्धि का लाभ दिया गया है। मेरी सरकार ने सफाई कर्मचारियों के लिए किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच, छानबीन और निगरानी करने के लिए 6 नवंबर, 2017 को हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग अधिसूचित किया है।

11. बेरोजगार स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को 100 घंटे के काम के लिए मानदेय और बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की अनूठी एवं लोकप्रिय **सक्षम (षिक्षित युवा सम्मानित हुआ)** योजना को लागू करने के अतिरिक्त, मेरी सरकार ने राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना के तहत देश में प्रति लाख आबादी पर प्रशिक्षुओं का सबसे अधिक नामांकन करने का अनूठा गौरव भी हासिल किया है।

12. भारत सरकार ने केन्द्रीय बजट, 2018–19 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना की घोषणा की है, जिसके तहत देष के 10 करोड़ परिवारों का हर वर्ष पांच–पांच लाख रुपये का चिकित्सा बीमा किया जाएगा। मेरी सरकार हरियाणा में इस योजना को 15 अगस्त, 2018 तक लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

13. मेरी सरकार ने राज्य के 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के साथ कोई भेदभाव किए बिना राज्य के हर क्षेत्र में समान विकास सुनिश्चित किया है। पिछली सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान की गई 6,012 घोषणाओं की तुलना में मेरी सरकार ने अक्तूबर, 2014 से अब तक 4,583 घोषणाएं की हैं। इनमें से 2,996 घोषणाएं या तो लागू हो गई हैं या क्रियान्वयन के अंतिम चरण में हैं।

14. हम वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। **प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण** के तहत, 4,349 नये मकानों का निर्माण किया गया है और 13,543 मकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। **सभी के लिए आवास** योजना के तहत सभी षहरों के लिए कार्य योजनाएं तैयार की जा रही हैं। भारत सरकार द्वारा 66 षहरों के 77,511 लाभार्थियों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित की गई हैं। हमने प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत लोगों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए उसी स्थल पर मलिन बस्ती पुनर्वास नीति लागू की है। यह नीति मलिन बस्तियों के निवासियों के लिए आवास उपलब्ध करवाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे एक कदम आगे है। आवास परियोजना के पूरा होने तक डेवलपर मलिन बस्तियों के लोगों के अंतरिम वैकल्पिक आवास के लिए किराया अदा करेगा।

15. हरियाणा खेलों के क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्षन कर रहा है। यह बेहद खुशी और गौरव की बात है कि हमारे छात्र खिलाड़ियों ने 31 जनवरी से 8 फरवरी तक नई दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित अंडर–17 **'खेलो इंडिया स्कूल गेम्स'** में 38 स्वर्ण पदकों सहित 102 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया, जिसमें कुल 35 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था।

16. मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अन्ततः मेरी सरकार ने मातृ भाषा सत्याग्रहियों, जिनके प्रयासों से स्वतंत्र भारत के संघीय मानचित्र पर राज्य एक अलग इकाई के रूप में अस्तित्व में आया, को 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन देनी शुरू कर दी है। मुझे खुशी है कि मेरी सरकार ने रक्षा बलों के हर शहीद के एक आश्रित को सरकारी नौकरी प्रदान करने का चिरलम्बित कार्य पूरा किया है। अक्तूबर, 2014 से अब तक 178 शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं।

## ग्रामीण विकास और पंचायत

17. मैंने गत वर्ष अपने अभिभाषण में इस सदन को आष्वासन दिया था कि हरियाणा के सभी गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाया जाएगा। मुझे यह बताते हुए बड़ी खुषी हो रही है कि मेरी सरकार ने पूरे प्रदेष को खुले में षौच से मुक्त कर दिया है। मैं

पंचायती राज संस्थानों एवं गैर–सरकारी संगठनों के सभी सदस्यों और सरकारी कर्मचारियों को बधाई देता हूँ, जिन्होंने इस कलंक को मिटाने के लिए पूर्ण समर्पण भाव से कार्य किया। इस उपलब्धि ने लाखों महिलाओं की गरिमा को बढ़ाया है।

18. मेरी सरकार ने गांवों के सर्वांगीण विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन स्तर की गुणवत्ता को सुधारने के लिए **'हरियाणा ग्रामीण विकास योजना'** नामक एक नई योजना शुरू की है। सभी गांवों में मौजूदा बुनियादी सुविधाओं को उन्नत किया जाएगा और नई बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मेरी सरकार द्वारा स्थापित किए गये ग्राम सचिवालयों की संख्या गत वर्ष के 1,131 से बढ़कर अब तक 1,618 हो गई है। इन्हें बेसिक कम्प्यूटर और आईटी सुविधाओं से लैस किया गया है।

19. मेरी सरकार ने ग्रामीण आबादी का शहरी इलाकों में पलायन रोकने के लिए 1,461 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–21 तक की अवधि में 10,000 या इससे अधिक की आबादी वाले गांवों के योजनाबद्ध विकास के लिए **'स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना'** शुरू की है।

20. राज्य में गांवों के विकास के लिए महान नेता चौधरी छोटू राम जी के नाम पर **दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना** शुरू की गई है, जिसके तहत आगामी दो वर्षों की अवधि के दौरान 3,000 से 10,000 की आबादी वाले 1,700 गांवों के विकास पर 5,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। **विधायक आदर्श ग्राम योजना** के तहत, गांवों का आदर्श गांव के रूप में विकास करने के लिए विधायकों द्वारा 5,000 से अधिक की आबादी वाले 80 गांवों की पहचान की गई है। इन गांवों के विकास के लिए 45.70 करोड़ रुपये की राषि पहले ही जारी की जा चुकी है।

21. अवक्रमित प्राकृतिक संसाधनों जैसेकि मृदा, वनस्पति आवरण और पानी के संरक्षण और विकास के द्वारा पारिस्थितिकी संतुलन को पुनर्स्थापित करने के लिए **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना** षुरू की गई है। यह राज्य के 13 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है और 31 दिसंबर, 2017 तक वाटरशेड परियोजनाओं की विभिन्न गतिविधियों पर 15.98 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। इस योजना के तहत 992. 72 करोड़ रुपये की एक राज्य सिंचाई योजना तैयार की गई है। जल के अत्यधिक दोहन वाले खण्डों में गिरते भूजल के पुनर्भरण हेतु जल संरक्षण और जल संचयन कार्य शुरू करने के लिए 21.22 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

22. राज्य में पानी के अत्यधिक दोहन और संकट ग्रस्त 36 चिह्नित खण्डों में भूजल के पुनर्भरण हेतु 76.20 करोड़ रुपये के प्रस्तावित परिव्यय से जल संरक्षण और संचयन का कार्य करने के लिए आगामी वित्त वर्ष से नाबार्ड की सहायता से एक नई **'सिंचाई दक्षता निधि'** योजना क्रियान्वित की जाएगी।

**शहरी विकास**

23. मेरी सरकार शहरी बुनियादी ढांचे के सृजन और उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए बजट आबंटन को वर्ष 2013–14 के 2,136.63 करोड़ रुपये से काफी बढ़ाकर वर्ष 2017–18 में 5,092.74 करोड़ रुपये किया गया, वर्ष 2018–19 में इसके और बढ़ने की सम्भावना है।

24. **अटल पुनरुत्थान और शहरी परिवर्तन मिशन (अमरूत)** के तहत शहरों में हर घर में नल के पानी की आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन सुनिष्चित करने, हरियाली बढ़ाने और प्रदूषण को कम करने के लिए 18 शहरी स्थानीय निकायों के लिए 2,565 करोड़ रुपये की एक राज्य कार्य योजना को मंजूरी दी गई है। आठ परियोजनाओं के तहत 722.33 करोड़ रुपये के कार्य प्रगति पर हैं और 31 मार्च 2018 से पहले 850 करोड़ रुपये के 14 अतिरिक्त कार्य आवंटित किए जाने की संभावना है।

25. यह गर्व की बात है कि मेरी सरकार ने षहरों के ठोस कचरे से बड़े पैमाने पर बिजली उत्पन्न करने का कार्य शुरू किया है। गुरुग्राम एवं फरीदाबाद नगर निगमों के लिए बंधवाड़ी में और पानीपत एवं सोनीपत नगर निगमों के लिए सोनीपत में ऐसे दो बिजली संयंत्रों की स्थापना का कार्य षुरू किया गया है। ठोस कचरा प्रबंधन के आधुनिक और वैज्ञानिक निपटान हेतु अन्य शहरों के लिए 12 और एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन समूहों का गठन किया गया है।

26. भारत सरकार द्वारा फरीदाबाद और करनाल को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। फरीदाबाद के लिए 2,342.24 करोड़ रुपये की कुल 68 परियोजनाएं और करनाल के लिए 1,211 करोड़ रुपये की कुल 58 परियोजनाएं हैं। हम गुरुग्राम को भारत के सभी स्मार्ट सिटीज से और अधिक स्मार्ट बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य पहले ही प्रक्रियाधीन हैं।

27. मेरी सरकार ने **गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण** की स्थापना करके गुरुग्राम के निवासियों की एक चिरलंबित मांग को पूरा किया है। यह प्राधिकरण सतत एवं संतुलित विकास करने और जीवन स्तर व रहने की गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक

विजन विकसित करेगा। इसे आवागमन और गतिशीलता, शहरी पर्यावरण के सतत प्रबंधन और सामाजिक, आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के मुद्दों को हल करने का अधिकार दिया गया है। जीएमडीए को 21वीं सदी की शासन संरचना के रूप में स्थापित किया गया है, जो सेवाएं प्रदान करने और आंतरिक कार्यों में प्रौद्योगिकी का अत्यधिक उपयोग करेगा और जहां कागज का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

28. यह संतोष का विषय है कि हरियाणा के निम्न और मध्यम क्षमता के शहरों के लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 1 नवम्बर, 2016 को षुरू की गई मेरी सरकार की **'दीनदयाल जन आवास योजना'** में लोगों की गहरी रुचि है। मेरी सरकार ने इस प्रयोजन के लिए 1,102 एकड़ क्षेत्र के विकास के लिए 112 लाइसेंस/आषय पत्र प्रदान किए हैं। इस योजना की सफलता से प्रोत्साहित होकर, मेरी सरकार ने उच्च क्षमता वाले अधिकतर शहरों में इसका विस्तार करने का निर्णय लिया है।

29. **हरियाणा रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017** प्रकाशित किये गये हैं और रियल एस्टेट सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और षिकायतों के त्वरित निपटान के लिए पंचकूला और गुरुग्राम में एक–एक रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण स्थापित किया गया है।

30. मेरी सरकार ने आवासीय और वाणिज्यिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए **'पहले आओ–पहले पाओ'** की व्यवस्था को बंद करके भ्रष्टाचार को जड़मूल से समाप्त किया है और इसके स्थान पर नीलामी की पारदर्शी व्यवस्था प्रतिस्थापित की गई है। हमने वैधानिक संषोधन के माध्यम से लोकेषन प्रीमियम की अवधारणा षुरू की है और कानून में इस भ्रष्टाचार मुक्त पद्धति को प्रतिष्ठापित किया है।

31. मेरी सरकार ने नरेला से कुंडली, जिला सोनीपत तक मेट्रो सेवाओं के विस्तार को मंजूरी दी है और संरेखण के सैद्धांतिक अनुमोदन और केंद्रीय सहायता की मंजूरी के लिए इस मामले को केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय को भेजा है। दिल्ली मैट्रो रेल निगम ने फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी और सुभाष चौक से रेलवे स्टेशन, गुरुग्राम के बीच लिंक का तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन किया है और इन दोनों परियोजनाओं को व्यवहार्य पाया है। इनके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही हैं।

32. राज्य में विनिर्माण को बढ़ावा देने के नए विकल्प उपलब्ध करवाने और कलस्टर विकास शुरू करने पर बल देने के लिए राज्य के औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्रों में एकीकृत

औद्योगिक कॉलोनियों के विकास के लिए एक **एकीकृत औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति** तैयार की गई है। इस नीति का 'लगाओ और चलाओ मॉडल' (प्लग एंड प्ले मॉडल) छोटे और मध्यम उद्यमों की आरम्भिक निवेश लागत और जोखिम को काफी कम करेगा।

**आवास**

33. आवास बोर्ड ने विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए राज्य में 92,188 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया है। मेरी सरकार के कार्यकाल में बोर्ड ने 16,426 आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा किया है और 8,184 आवासीय इकाइयां निर्माणाधीन हैं। निर्मित आवास इकाइयों में से 80 प्रतिषत से अधिक बीपीएल/ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए हैं। अपनी भावी आवास परियोजनाओं के लिए, बोर्ड ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और षहरी स्थानीय निकाय विभाग से आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लिए 220 एकड़ और रक्षा श्रेणी के लिए 87 एकड़ जमीन की खरीद की है। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने बीपीएल श्रेणी के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु बोर्ड को 11,148 ईडब्ल्यूएस प्लॉट आवंटित किए हैं।

**राजस्व**

34. मेरी सरकार ने डीड पंजीकरण हेतु समय लेने के लिए ई–पंजीकरण प्रणाली शुरू की है। 100 रुपये से अधिक के स्टॉम्प मूल्य की डीड के पंजीकरण के लिए ई–स्टॉम्पिंग अनिवार्य की गई है। हर वर्ष जारी किए जा रहे लगभग 18 लाख प्रमाण पत्रों को तुरंत सत्यापन के लिए डिजिटल रिपॉजिटरी में उपलब्ध करवाया गया है। प्रमाण–पत्र जारी करने की प्रणाली को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 23 नवंबर, 2017 को नई दिल्ली में साइबर स्पेस पर आयोजित 5वें वैश्विक सम्मेलन में शुरू की गई **उमंग** (नई–युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन) के साथ भी जोड़ा गया है।

35. सभी 142 तहसीलों/उप–तहसीलों में **एकीकृत संपत्ति पंजीकरण प्रणाली (हरिस)** और **भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली (हैलरिस)** लागू की गई है। किसी भी समय कहीं से भी इस तक पहुंच उपलब्ध करवाने के लिए अब इसे क्लाउड आधारित वेब सक्षम प्रणाली के रूप में उन्नयन किया जा रहा है।

36. मेरी सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सहयोग से 21 दिसंबर, 2017 को राज्य की तैयारियों और प्रतिक्रियाओं का आकलन करने के लिए भूकंप पर मेगा मॉक एक्सरसाइज आयोजित की। इस राज्यव्यापी अभ्यास के दौरान

जिलों में जिला प्रषासन और सेना, एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी और आईटीबीपी की लगभग 136 संयुक्त टीमें तैनात की गईं।

## सिंचाई एवं जल संसाधन

37. मेरी सरकार ने मानसून के दौरान यमुना नदी के अतिरिक्त पानी का उपयोग करने के लिए कैरियर सिस्टम की क्षमता बढ़ाने की 1,115 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की चार प्रमुख परियोजनाएं तैयार की हैं। इनमें से पश्चिमी यमुना कैनाल मेन लाइन लोअर की आरडी 68,220 (हमीदा हेड) से आरडी 1,90,950 (इन्द्री हेड) तक क्षमता को बढ़ाने, पष्चिमी यमुना कैनाल मुख्य शाखा की आरडी 0–1,54,000 तक क्षमता को सुधारने और सवंर्धन नहर के पुनर्निर्माण की तीन परियोजनाओं को मेरी सरकार ने मंजूरी दे दी है। इन तीन परियोजनाओं से मानसून के दौरान राज्य में लगभग 4,000 क्यूसिक अतिरिक्त पानी लाने में मदद मिलेगी।

38. लगभग 550 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 125 चैनलों का मुख्य जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। 143 करोड़ रुपये की लागत से जवाहरलाल नेहरू उठान सिंचाई प्रणाली के विभिन्न पंप घरों और नहरों की क्षमता को सुधारने की एक मुख्य परियोजना इस मास के अंत तक पूरी हो जाएगी। मेरी सरकार ने लम्बे समय से स्थगित मेवात फीडर कैनाल परियोजना पर भी कार्य पुनः शुरू किया है।

39. उपलब्ध सतही पानी के इष्टतम उपयोग के लिए माइक्रो सिंचाई को प्रोत्साहित करने हेतु स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई के प्रावधान वाली आठ पायलट परियोजनाएं क्रियान्वित की गई हैं और पांच अन्य परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं। इनकी सफलता से प्रोत्साहित होकर मेरी सरकार राज्यभर में इन पायलट परियोजनाओं को व्यापक रूप से लागू करेगी।

## बिजली

40. गत तीन वर्षों के दौरान, मेरी सरकार ने 27 नए सब–स्टेशन स्थापित करके और 155 मौजूदा सब–स्टेशनों की क्षमता बढ़ाकर बिजली सम्प्रेषण प्रणाली को सुदृढ़ किया है। कुल मिलाकर 6,824 एमवीए की सम्प्रेषण क्षमता बढ़ाई गई है और 967 किलोमीटर लम्बी सम्प्रेषण लाइनें बिछाई गई हैं। इसके अतिरिक्त, 71 नए सब–स्टेशन स्थापित करने, 324 मौजूदा सब–स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने और 1,764 किलोमीटर लम्बी सम्प्रेषण लाइनें बिछाने की योजना है।

41. बिजली के उचित वितरण के लिए 33 केवी के 109 नए सब–स्टेशन स्थापित किए गये हैं, 231 मौजूदा सब–स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई है और नई 33 केवी लाइनों की लगभग 1,234 सर्किट किलोमीटर लम्बी लाइन बिछाई गई है। आगामी एक वर्ष में 33 केवी सब–स्टेशन तंत्र के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के कार्य को तेज किया जाएगा। अगले वर्ष 105 नये सब–स्टेषन स्थापित किए जाएंगे और 33 केवी के 177 मौजूदा सब–स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। 33 केवी की लगभग 790 किलोमीटर लम्बी नई लाइनें बिछाई जाएंगी।

42. मेरी सरकार द्वारा शुरू की गई **'म्हारा गांव–जगमग गांव'** योजना के तहत 400 फीडरों के अधीन आने वाले 1,811 गांवों को रोजाना 24 घंटे बिजली मिल रही है। पंचकूला, अंबाला, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सिरसा जिलों को अब 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। पानीपत षहर में अत्याधुनिक स्मार्ट ग्रिड पायलट परियोजना क्रियान्वित की गई है, जिससे 10,000 उपभोक्ता लाभान्वित हुए।

43. स्वच्छ सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, हम राज्य के बिजली उत्पादन स्टेशनों पर उपलब्ध जमीन पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर रहे हैं। पानीपत में 10 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना नवंबर, 2016 से शुरू हो चुकी है। यमुनानगर और फरीदाबाद में ऐसे ही संयंत्र लगाए जा रहे हैं।

## महिला एवं बाल विकास

44. मेरी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे हिंसा एवं भेदभाव से मुक्त वातावरण में गरिमा के साथ रह सकें और विकास प्रक्रिया में समान रूप से योगदान दे सकें। मेरी सरकार का मिषन दूरगामी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, लिंग सम्बन्धी सरोकारों की ओर विषेष ध्यान देना और महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है ताकि उन्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने में सक्षम बनाया जा सके।

45. मेरी सरकार ''सतत विकास लक्ष्य 2030'' के अनुसार लैंगिक समानता लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। हम केंद्र सरकार की सहायता से कई पहलों को लागू कर रहे हैं, जिनमें **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ, समेकित बाल विकास योजना, अनुपूरक पोषण कार्यक्रम, एकीकृत बाल संरक्षण योजना, महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर (सखी)** शामिल हैं।

46. मुझे यह घोषणा करते हुए भी अति प्रसन्नता हो रही है कि राज्य में अंबाला जिले के बराड़ा और नारायणगढ़ खण्डों में खाद्यान्नों में पोषकता बढ़ाने (फूड फोर्टिफिकेषन) के कार्यक्रम को पायलट आधार पर षुरू किया गया है, जिसे शीघ्र ही समस्त राज्य में लागू किया जाएगा। यह राज्य में महिलाओं में कुपोषण और रक्ताल्पता की समस्या पर काबू पाने में सहायक सिद्ध होगा।

47. मेरी सरकार अब यौन और लिंग आधारित हिंसा पर व्यापक राज्य कार्य योजना को अंतिम रूप दे रही है। इससे राज्य में महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करने वाले अपराध के सभी प्रमुख घटकों का निराकरण होगा। इसमें विभिन्न हितधारकों द्वारा समयबद्ध तरीके से उठाए जाने वाले कदमों बारे उनकी जिम्मेदारियों का स्पष्ट रूप से वर्णन होगा।

**कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां**

48. देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 1.4 प्रतिशत होने के बावजूद हमारा प्रदेष किसानों की कड़ी मेहनत के कारण केन्द्रीय खाद्यान्न भण्डार में 14 प्रतिषत योगदान दे रहा है। यह प्रशंसनीय है कि वर्ष 2016–17 के दौरान खाद्यान्नों का 180 लाख मीट्रिक टन का ऐतिहासिक उत्पादन हुआ। रबी 2017–18 के दौरान 1625 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 74.25 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। खरीफ 2017–18 के दौरान सामान्य धान के लिए 1550 रुपये और ग्रेड–ए किस्म के लिए 1590 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 59.17 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। राज्य के इतिहास में यह अब तक की सबसे अधिक खरीद है।

49. मेरी सरकार ने कृषि क्षेत्र में हानि को कम करने के लिए और खरीफ की अधिसूचित फसलों धान, बाजरा, मक्का और कपास तथा रबी की गेहूं, जौ, चना और सरसों के खराब होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना** लागू की है। खरीफ 2016 और रबी 2016–2017 हेतु दावों के लिए प्रभावित किसानों को 277 करोड़ रुपये वितरित किये गये। इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसलों के लिए राजस्व विभाग द्वारा 84.03 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए गये।

50. सम्मानित सभासदो ! आपको यह जानकर खुषी होगी कि मेरी सरकार जल्द ही **हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण** की स्थापना करेगी, जो किसानों और भूमिहीन

श्रमिकों के भौतिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक दबाव को कम करने के लिए और कृषि को लाभप्रद बनाने तथा कृषि की उत्पादकता में वृद्धि के लिए सभी संभव उपाय करेगा।

51. मेरी सरकार ने उर्वरकों के संतुलित और इष्टतम उपयोग के लिए **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना** के तहत किसानों को 40,02,238 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए हैं।

52. मेरी सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों के लिए 510.35 करोड़ रुपये की लागत से आपूर्ति चेन विकसित करने के लिए **फसल समूह विकास कार्यक्रम** षुरू किया है।

53. मधुमक्खी पालन के लिए भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र जिला कुरुक्षेत्र मेंश्वर्ष 2017 में स्थापित किया गया और जिला पलवल, झज्जर तथा महेन्द्रगढ़ में तीन बागवानी उत्कृष्टता केन्द्रों पर कार्य शुरू किया गया है। मेरी सरकार उच्च मूल्य वाली सब्जियों और उनके सीधे विपणन के लिए जिला फरीदाबाद में चार करोड़ रुपये की एक पायलट परियोजना षुरू करके 13 एनसीआर जिलों में पेरी–अर्बन खेती को बढ़ावा दे रही है।

54. मेरी सरकार का सहकारिता क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने में विश्वास है ताकि लोगों को उनकी सामूहिक शक्ति और आर्थिक संसाधन का लाभ मिल सके। सरकार ने सहकारी संगठनों में चुनाव प्रक्रिया के संचालन, दिषा निर्देषन और नियंत्रण के लिए सहकारी चुनाव प्राधिकरण स्थापित करने की मंजूरी देने का एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।

55. सहकारी बैंकों ने चालू वित्त वर्ष के दौरान जनवरी, 2018 तक राज्य के किसानों को 5,414.01 करोड़ रुपये के ऋण दिए हैं। किसानों के लाभार्थ दिसंबर, 2017 तक 12. 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं।

56. मेरी सरकार गन्ने का 330 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दे रही है, जो देश में सर्वाधिक है। करनाल में 225 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सह–उत्पादन और परिष्कृत चीनी के उत्पादन के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ 3500 टीसीडी क्षमता की एक नई चीनी मिल भी स्थापित की जा रही है। यह परियोजना दो वर्षों में पूरी हो जाएगी।

57. अप्रैल, 2017 से फरवरी, 2018 तक हरियाणा में दुग्ध सहकारी समितियों ने प्रतिदिन औसतन 5.50 लाख लीटर दूध की खरीद की। **'मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना'** के तहत मेरी सरकार ने अप्रैल से सितंबर तक दूध की कमी की अवधि के दौरान सहकारी दुग्ध समितियों को दूध उपलब्ध करवाने वाले किसानों को

मौजूदा दर के अतिरिक्त पांच रुपये प्रति लीटर की अदायगी की। इसी अवधि के दौरान पहली बार, डेरी प्रसंघ द्वारा अपने लाभ में से दूध उपलब्ध करवाने वाले किसानों को 1.5 रुपये प्रति लीटर के भावान्तर का भुगतान किया गया। वर्ष 2016–17 में कुल वार्षिक दुग्ध उत्पादन 89.75 लाख टन तक पहुंच गया और इसके साथ ही प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति दुग्ध उपलब्धता बढ़कर 878 ग्राम हो गई है, जोकि देशभर में दूसरी सबसे अधिक है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धता 329 ग्राम है।

58. हैफेड ने 181 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से आईएमटी, रोहतक में एक मैगा फूड प्रोजैक्ट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है।

59. राजकीय पशुधन फार्म, हिसार में एक गोकुल ग्राम स्थापित किया जाएगा। हरीयाना, साहीवाल और थारपारकर नस्ल के मौजूदा मवेषियों के उन्नयन और उपलब्ध बुनियादी ढांचे को समुचित रूप से सुदृढ़ करके गोकुल ग्राम के उद्देश्यों को हासिल किया जाएगा। प्रदेष में गीर नस्ल की गायों के पालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

## खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले

60. मेरी सरकार ने जनवरी, 2018 से सभी 11.33 लाख बीपीएल परिवारों को 20 रुपये प्रति लीटर की दर से एक लीटर सरसों का तेल देने की एक नई पहल की है। इसी प्रकार, एएवाई परिवारों को सब्सिडी पर वितरित की जा रही चीनी अब जनवरी, 2018 से सभी बीपीएल परिवारों को भी 13 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करवाई जा रही है।

61. समस्त राज्य में उचित मूल्य की दुकानों के स्वचालन की पूर्णतः ऑनलाइन प्रणाली 2017 से षुरू की गई है। इस प्रणाली में पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रदान की गई है, जिससे लाभार्थी राज्य में कहीं भी किसी भी दुकान से राशन ले सकते हैं। पीडीएस डाटाबेस को आधार से जोड़ने के बाद नामित व्यक्तियों को राशन लेने की अनुमति दी गई है। इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हेराफेरी पर अंकुष लगा है।

## स्कूल शिक्षा

62. बच्चों के लिए षिक्षा सुविधाएं सुगम बनाने के लिए, 42 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों और 176 राजकीय उच्च विद्यालयों को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेड किया गया है। अध्ययन के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम शुरू करके सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं और सभी कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों के मासिक आकलन टैस्ट लिए जाते हैं।

63. मिड–डे–मील योजना के तहत, वर्तमान में परोसे जा रहे भोजन के अतिरिक्त, राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को **स्वर्ण जयंती दुग्ध योजना** के तहत वीटा के मीठे और सुगंधित स्किम्ड दूध की आपूर्ति की जाएगी।

**उच्चतर शिक्षा**

64. इस वर्ष के दौरान, अलेवा, हथीन और बरोटा में तीन नए राजकीय महाविद्यालय शुरू किए गए हैं। कुल 113 राजकीय महाविद्यालयों और 97 सरकारी सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालयों में से 32 राजकीय और 35 सरकारी सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालय विशेष रूप से लड़कियों के लिए हैं। मेरी सरकार प्रत्येक 20 किलोमीटर की परिधि में एक कन्या महाविद्यालय खोलने के लिए प्रतिबद्ध है। 30 नये महाविद्यालयों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और आगामी शैक्षणिक सत्र में अस्थाई भवनों में इनकी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी।

65. मेरी सरकार ने हाल ही में स्थापित गुरुग्राम विश्वविद्यालय, गुरुग्राम तथा महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, मुंदड़ी का शैक्षणिक संचालन भी षीघ्र ही शुरू करने का निर्णय लिया है। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विष्वविद्यालय का निर्माण कार्य पूरे जोर–षोर से चल रहा है और इस विश्वविद्यालय का शैक्षणिक संचालन आगामी शैक्षणिक सत्र से शुरू हो जाएगा।

**तकनीकी शिक्षा**

66. फरीदाबाद के नीमका राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के परिसर में लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया गया है तथा कुरुक्षेत्र में उमरी राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के भवन में अस्थाई रूप से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान केन्द्र स्थापित किया गया है।

67. प्रदेष में 8 नए बहुतकनीकी संस्थान स्थापित किए गए हैं तथा सेक्टर–26, पंचकूला और रेवाड़ी के गांव धामलावास में 2 नए राजकीय बहुतकनीकी संस्थान–सह–बहु कौषल विकास केंद्र निर्माणाधीन हैं। एक अन्य बहुतकनीकी संस्थान यमुनानगर के राजपुर में स्थापित किया जा रहा है।

68. राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों और डिप्लोमा इंजीनियरिंग कार्यक्रम के गुणवत्ता उन्नयन के लिए 10 अक्टूबर, 2017 को हरियाणा राज्य तकनीकी षिक्षा बोर्ड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, मानेसर के बीच एक

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बहुतकनीकी संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों के प्रशिक्षण और नियोजन हेतु स्थानीय उद्योगों और उद्योग से जुड़ी प्रशिक्षण एजेंसियों के साथ भी 100 अन्य समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

**स्वास्थ्य एवं आयुष**

69. मेरी सरकार प्रदेष के सभी नागरिकों को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेष में 60 नागरिक अस्पतालों, 124 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 500 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 2,630 उप–स्वास्थ्य केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त 8 ट्रॉमा सेंटर, 3 बर्न यूनिट्स और 64 शहरी औषधालय/पॉलीक्लिनिक्स हैं। वर्ष 2017 के दौरान, 555 चिकित्सकों को चिकित्सा अधिकारी के पद हेतु नियुक्ति पत्र जारी किए गए।

70. **मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना** के अंतर्गत, 7 प्रकार की सेवाएं, नामतः सर्जरी, प्रयोगशाला परीक्षण, नैदानिक (एक्सरे, ईसीजी और अल्ट्रासाउंड सेवाएं), ओपीडी/इनडोर सेवाएं, दवाइयां, रेफरल ट्रांसपोर्ट और दंत चिकित्सा उपचार, निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सीटी स्कैन और एमआरआई सेवाएं क्रमषः 11 और 4 जिला नागरिक अस्पतालों में उपलब्ध हैं। सीटी स्कैन सेवाओं का 5 और नागरिक अस्पतालों तक विस्तार किया जा रहा है।

71. हेमोडायलिसिस सेवाएं 7 नागरिक अस्पतालों में चल रही हैं और जल्द ही षेष जिला नागरिक अस्पतालों में भी चालू हो जाएंगी। सात श्रेणियों के मरीजों के लिए ये सेवाएं निःषुल्क उपलब्ध करवाई गई हैं। नागरिक अस्पताल, पंचकूला और अम्बाला छावनी में 20 बिस्तरों वाली कार्डियक केयर यूनिट्स के साथ हृदय चिकित्सा सेवाएं अर्थात कार्डियक कैथ लैब और कार्डियक केयर यूनिट्स और एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जैसी सेवाएं शुरू हो गई हैं। गरीबी रेखा से नीचे, अनुसूचित जातियों तथा आरोग्यकोष मरीजों के लिए ये सेवाएं निःषुल्क हैं। फरीदाबाद और गुरुग्राम के नागरिक अस्पतालों में भी हृदय चिकित्सा सेवाएं जल्द ही शुरू की जाएंगी।

72. 30 नवंबर, 2017 से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 6 प्राणघातक अवस्थाओं, नामतः हृदय सम्बन्धी आपात स्थितियों, दुर्घटनाओं, तीसरे और चौथे चरण के कैंसर, कोमा, मस्तिष्क रक्तस्राव और करंट लगने पर नकदी रहित चिकित्सा सेवा योजना शुरू की गई है।

73. मेरी सरकार अपने स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार पर अत्यधिक ध्यान दे रही है। गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके तहत 11 स्वास्थ्य सुविधाओं को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित किया गया है। राष्ट्रीय अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाता मान्यता बोर्ड द्वारा 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मान्यता प्रदान की गई है और 22 स्वास्थ्य संस्थानों को कायाकल्प पहलों के लिए पुरस्कृत किया गया है।

74. मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार किया जा रहा है। दिसंबर, 2017 तक, हमारे राज्य में 90.4 प्रतिशत संस्थागत प्रसूतियां दर्ज की गई। मेरी सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्मों पर 43 से कम होकर 37 रह गई। शिशु मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर को भी प्रति हजार जीवित जन्मों पर क्रमषः 36 से 33 तथा 24 से 22 तक लाया गया है। मेरी सरकार की **दीनदयाल नवजात शिशु सुरक्षा योजना** के तहत सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में प्रसूति के समय सभी माताओं को माता एवं नवजात शिशु देखभाल किट प्रदान करने की भी योजना है।

75. मेरी सरकार ने श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत कुरुक्षेत्र में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना करके एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल की है। महेन्द्रगढ़ के गांव पट्टीकरा में हरियाणा के दूसरे राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण किया गया है। आयुष औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, एक राज्य आयुर्वेदिक फार्मेसी और राज्य आयुष औषध परीक्षण प्रयोगषाला चालू की गई है। नूंह के गांव अकेरा में एक नया यूनानी कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। जीवन–शैली जनित रोगों के बोझ को कम करने के लिए, प्रत्येक जिले में एक पंचकर्म केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

## चिकित्सा षिक्षा

76. पहली नवंबर, 1966 को, प्रदेष में 60 एमबीबीएस सीटों की क्षमता का केवल एक चिकित्सा महाविद्यालय था। अब हमारे प्रदेष में 1400 एमबीबीएस सीटों की वार्षिक दाखिला क्षमता वाले 11 चिकित्सा महाविद्यालय तथा 960 बीडीएस और 248 एमडीएस सीटों की वार्षिक दाखिला क्षमता वाले 10 दन्त चिकित्सा महाविद्यालय हैं। जिला झज्जर के बाढ़सा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के परिसर में 710 बिस्तर का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान स्थापित किया जा रहा है, जो अप्रैल, 2018 से चालू हो जाएगा।

77. मेरी सरकार ने भिवानी और जींद में एक–एक नया राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया षुरू की है। नगर निगम, गुरुग्राम और श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड, गुरुग्राम के सहयोग से गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा भी सैक्टर–102, गुरुग्राम में एक नया चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक जिले में एक चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की योजना के तहत मेरी सरकार ने जिला महेन्द्रगढ़ में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी है।

78. पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल में सुपर–स्पेशलिटी विभाग और विशेषकर हृदय रोगों, कैंसर आदि के उपचार से सम्बंधित नये विभाग होंगे तथा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के उपचार के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त 50 बिस्तर का एक ट्रॉमा सेंटर होगा।

79. इस समय, राज्य में केवल एक सरकारी नर्सिंग कॉलेज, 16 नर्सिंग स्कूल और 230 निजी नर्सिंग स्कूल हैं, जिनमें 9312 सीटों की वार्षिक दाखिला क्षमता के साथ एएनएम, जीएनएम, बीएससी, एमएससी, पीबीबीएससी और एमपीएचडब्ल्यू (पुरुष) पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मेरी सरकार प्रत्येक जिले में एक सरकारी नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने का इरादा रखती है।

## उद्योग एवं वाणिज्य

80. उद्यमियों को समयबद्ध ढंग से स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 के तहत हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र स्थापित किया गया है। दिसंबर, 2017 के मध्य तक 2,713 परियोजनाओं के लिए ऑनलाइन कम्पोजिट एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए। अब तक 1,50,389 लोगों को रोजगार प्रदान करने वाली 32,516 करोड़ रुपये के निवेश की परियोजनाएं क्रियान्वित की जा चुकी हैं।

81. भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग द्वारा ''कारोबार की सहुलियत'' पर किये गए राज्यों के पिछले वर्ष के आकलन में हमारे राज्य को देष में छठे श्रेष्ठ और उत्तर भारत में प्रथम राज्य का दर्जा दिया गया था। चालू वर्ष में फिलहाल हम उसके क्रियाषील पोर्टल पर प्रथम स्थान पर हैं।

82. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र व विनिर्माण और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए, 150 करोड़ रुपये के निवेष से आईएमटी रोहतक में 19.8 एकड़ तथा औद्योगिक विकास केंद्र साहा में 10 एकड़ क्षेत्र में टूल रूम/प्रौद्योगिकी केंद्र की दो परियोजनाएं

स्थापित की जा रही हैं। सेंट्रल टूल रूम, लुधियाना ने राजकीय उष्मा उपचार केंद्र, फरीदाबाद में अपना विस्तार केंद्र षुरू कर दिया है।

**श्रम**

83. मेरी सरकार ने सिलिकोसिस प्रभावित श्रमिकों और उनके परिवारजनों के पुनर्वास, उपचार, क्षतिपूर्ति और कल्याण के लिए हरियाणा सिलिकोसिस पुनर्वास नीति के तहत 8 नई योजनाएं बनाई हैं। जनवरी, 2018 तक सिलिकोसिस प्रभावित 102 श्रमिकों को उनके पुनर्वास और कल्याण के लिए 517.40 लाख रुपये की राषि वितरित की गई है।

84. हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा चालू वर्ष के दौरान दिसंबर, 2017 तक विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत पंजीकृत सन्निर्माण कामगारों को 1,15,381 लाभ प्रदान करने के लिए 95.93 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

85. हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा चालू वर्ष के दौरान जनवरी, 2018 तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 25,508 श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के लिए 22.52 लाख रुपये की राषि वितरित की गई।

**सूचना प्रौद्योगिकी**

86. मेरी सरकार ने डिजिटल इंडिया के विजन के अनुरूप सूचना प्रौद्योगिकी पहल करने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। **सेवा के रूप में बुनियादी ढांचे, ई–षासन सेवाएं, डिजिटल साक्षरता, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र** के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल करने के लिए कई कार्यक्रम षुरू किए हैं और नई पहलें की हैं।

87. सरकारी सेवाएं नागरिकों के घर–द्वार पर मुहैया करवाने के उद्देष्य से, 11,986 अटल सेवा केंद्र पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 8,204 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। वर्ष 2018 के दौरान सभी 6,205 ग्राम पंचायतों को इसमें षामिल करने तथा नागरिकों को सभी सेवाएं नकदी रहित, मानव हस्तक्षेप रहित और कागज रहित ढंग से प्रदान करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

88. वर्ष 2017 में चार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र विषिष्ट नीतियां अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण नीति, उद्यमी और स्टार्टअप

नीति, संचार एवं संयोजिता अवसंरचना नीति और साइबर सुरक्षा नीति तैयार कर अधिसूचित की गई।

89. राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क/भारत नेट के तहत, 5,803 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है और 5,637 ग्राम पंचायतों में परीक्षण पूरा कर लिया गया है तथा 3407 ग्राम पंचायतों को एलआईटी सक्रिय बनाया गया है। भारत नेट के माध्यम से 109 ग्राम पंचायतों में वाई–फाई की सुविधा प्रदान की गई है।

**लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)**

90. मेरी सरकार ने चालू वर्ष के दौरान 2,449 किलोमीटर लम्बे राज्य राजमार्गों, प्रमुख जिला सड़कों और सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली ग्रामीण सड़कों के सुधार के लिए 1,148 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। वर्ष 2017–18 के दौरान, नाबार्ड योजना के तहत 167.15 करोड़ रुपये की लागत की 235.17 किलोमीटर लम्बी 28 सड़कों और 8 पुलों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

91. भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग–148 बी पर रायमलिकपुर (राजस्थान सीमा)–नारनौल–महेंद्रगढ़–चरखी दादरी–भिवानी से राष्ट्रीय राजमार्ग–709 विस्तार पर खरक तक 155 किलोमीटर लम्बे कॉरिडोर की 1,240.65 करोड़ रुपये लागत की चारमार्गी परियोजना को 5 पैकेजों के तहत अपनी कार्य योजना में शामिल किया गया है। खरक से भिवानी और भिवानी से मंदोला (चरखी दादरी) तक 517.54 करोड़ रुपये की लागत के दो पैकेजों का कार्य स्वीकृति उपरांत प्रगति पर है।

92. पिंजौर–बद्दी–नालागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग–21ए के लिए 140.00 करोड़ रुपये की राषि से पिंजौर बाईपास के निर्माण कार्य का अनुबंध अभियांत्रिकी खरीद अनुबंध पद्धति पर दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 105 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग–73 (पंचकूला से यमुनानगर खण्ड तक) तथा दिल्ली के इर्द–गिर्द 135 किलोमीटर लम्बे ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे को चारमार्गी बनाने का कार्य प्रगति पर है, जिसमें से
49 किलोमीटर लम्बा भाग सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल जिलों में पड़ता है।

93. रोहतक–महम–हांसी रेलवे लाइन का काम शुरू कर दिया गया है। रोहतक शहर में सड़क यातायात की गतिशीलता बढ़ाने के लिए, मौजूदा रोहतक–गोहाना–पानीपत रेलवे लाइन को 315.71 करोड़ रुपये की लागत से ऊपर

उठाया जा रहा है, जिसमें से राज्य सरकार का अंषदान 225.72 करोड़ रुपये है। चालू वर्ष के दौरान, 3 आरओबी/ आरयूबी का कार्य पूरा होने की संभावना है और वर्ष 2018–19 के दौरान 6 और आरओबी/आरयूबी का कार्य पूरा करने का प्रस्ताव है। मेरी सरकार ने वर्ष 2020 तक सभी 167 मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को हटाने का प्रस्ताव तैयार किया है।

## जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी

94. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं और षहरी क्षेत्रों में सीवरेज व बरसाती पानी की निकासी की सुविधाओं का उन्नयन किया जा रहा है। मेरी सरकार ने चालू वर्ष के दौरान 21 नहर आधारित जलघर, 274 नलकूप, 74 बूस्टिंग स्टेशन तथा 9 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू किए हैं। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए राज्य/केन्द्रीय योजना के पूंजीगत परिव्यय के तहत 1483.18 करोड़ रुपये की राषि उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें से 31 दिसंबर, 2017 तक 791.84 करोड़ रुपये की राषि खर्च की जा चुकी है।

95. महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार, सिरसा, भिवानी, जींद, पलवल और मेवात के ग्रामीण क्षेत्रों में नाबार्ड के तहत 1,158.45 करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाएं प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017–18 के दौरान 408.17 करोड़ रुपये की लागत की 4 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

96. वर्ष 2017–18 के दौरान, 3 कस्बों नामतः फर्रूखनगर, नूंह और हेली मण्डी–पटौदी में 205.05 करोड़ रुपये की लागत से जलापूर्ति योजनाएं चालू की गईं। प्रदेष के 9 कस्बों अर्थात सोहना, बेरी, झज्जर, कलानौर, सांपला, खरखौदा, गन्नौर, होडल और समालखा की सीवरेज प्रणाली संवर्धन के लिए राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड द्वारा नवम्बर, 2017 में 72.11 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

## पुरातत्व एवं संग्रहालय

97. मेरी सरकार ने प्रदेष के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान, अन्वेषण और संरक्षण को उचित महत्व दिया है। कुनाल में भारतीय पुरातात्विक सोसायटी, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली के सहयोग से उत्खनन का कार्य जारी रहेगा। राखी गढ़ी में 24 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्थल संग्रहालय और व्याख्या केंद्र स्थापित किया जा रहा है।

## अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण

98. मेरी सरकार अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है तथा उनके सामाजिक–आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है।

99. **'मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना'** के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जातियों, विमुक्त जनजातियों और टपरीवास जातियों के लोगों को उनकी बेटियों के विवाह पर 41,000 रुपये तथा अनुसूचित जातियों के अतिरिक्त बीपीएल श्रेणी के सभी वर्गों को 11,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। दिसम्बर, 2017 तक 59.85 करोड़ रुपये की राषि खर्च की गई है।

100. पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के ऐसे विद्यार्थियों, जिनकी वार्षिक परिवारिक आय 2.50 लाख रुपए से कम है, को वजीफा और फीस प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाती है। वर्ष 2017–18 के लिए 32,514 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार, पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में पढ़ने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिसके लिए वर्ष 2017–18 के लिए 3,736 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

101. अनुसूचित जाति के उत्कृष्ट विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए **डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना** के तहत 8000 से 12,000 रुपये तक की वार्षिक छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं और पिछड़े वर्ग के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। विभिन्न प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों को मुफ्त कोचिंग भी प्रदान की जा रही है।

102. **'मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना'** के अंतर्गत, अनुसूचित जाति के युवक या युवती से अंतरजातीय विवाह करने पर प्रोत्साहन दिया जाता है। विवाहित जोड़े को 1,01,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाता है और दिसम्बर, 2017 तक कुल 308.42 लाख रुपये की राषि खर्च की गई है।

103. बाल संवारने की कला की विरासत को पुनर्जीवित करने व प्रोत्साहित करने, इसकी निरंतरता और उन्नयन तथा इस पेषे में नई प्रौद्योगिकियां लाने में समन्वय तथा सहायता करने के उद्देष्य से 24 नवम्बर, 2017 को हरियाणा केश कला और कौशल विकास बोर्ड का गठन किया गया।

## सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

104. वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा और निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, किन्नर भत्ता, बौना भत्ता की राशि 1 नवम्बर, 2017 से 1,600 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1,800 रुपए प्रतिमाह की गई है, जोकि देष में सर्वाधिक है। विभिन्न योजनाओं में शामिल लाभार्थियों की संख्या 23.61 लाख से बढ़कर 24.68 लाख हो गई है।

105. प्रदेष में सभी सार्वजनिक भवनों को षीघ्र ही दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। भविष्य में खरीदी जाने वाली सभी नई बसों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया जाएगा। बधिर, मूक और नेत्रहीन व्यक्तियों की उच्चतर शिक्षा के लिए करनाल के मौजूदा महाविद्यालय में एक अलग शाखा की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही, करनाल में सभी श्रेणियों के दिव्यांगजनों के लिए एक कौशल विकास एवं रोजगार सृजन संस्थान स्थापित किया जाएगा।

106. मेरी सरकार ने 1 अप्रैल, 2017 से **डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहयोग योजना** के नाम से एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत 18–70 वर्ष के आयु वर्ग के प्रदेष के स्थायी निवासी को मृत्यु/पूर्ण स्थायी अषक्तता होने पर एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जा रहा है।

107. मेरी सरकार अल्पसंख्यकों के संरक्षण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए वर्ष 2018–19 हेतु 6 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 15 अल्पसंख्यक बहुल खण्डों के लिए 50.00 करोड़ रुपये के परिव्यय से **बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)** का प्रस्ताव किया गया है।

## गृह

108. प्रत्येक पुलिस थाने में **पुलिस मित्र कक्ष** (सेवा–सह–शिकायत केंद्र) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसे प्रारम्भ में पायलट परियोजना के रूप में जिला रोहतक, करनाल और पंचकूला में शुरू किया गया है। इनसे पुलिस का मानवीय चेहरा दृष्टिगोचर होगा और समाज में शांति, सद्भाव और भाईचारा बढ़ाने में मदद मिलेगी।

109. मेरी सरकार ने पूरे राज्य के लिए 153 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत तथा 40 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की चालू लागत से एक केन्द्रीयकृत पुलिस नियंत्रण कक्ष (हरियाणा 100 परियोजना) स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह परियोजना सीधे रूप से सेक्टर–3, पंचकूला में स्थापित किए जा रहे पुलिस नियंत्रण कक्ष से उच्च स्तर के

प्रशिक्षित पेशेवर कर्मियों द्वारा चलाई जाएगी। प्रत्येक पुलिस थाने में दो पीसीआर वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो 15 मिनट के अंदर किसी भी अपराध स्थल पर पहुंच जाएंगे।

110. सिपाहियों और उप–निरीक्षकों की भर्ती को और अधिक निष्पक्षता से जारी रखने तथा उन परिवारों, जिनके सदस्यों में से कोई भी सरकारी नौकरियों में नहीं है, को प्राथमिकता देने के लिए, पंजाब पुलिस नियमों में संशोधन किए गए हैं। साक्षात्कार को भी समाप्त कर दिया गया है।

111. वर्ष 2017 के दौरान प्रदेष में अपराध की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में रही। इस अवधि के दौरान, भारतीय दण्ड संहिता के तहत 97,392 मामले दर्ज किए गए। विभिन्न षीर्षों के तहत अधिकांश मामलों का समाधान किया गया। उदाहरण के तौर पर हल किए गए हत्या के मामलों की प्रतिशतता 81.73 प्रतिशत, सदोष मानवहत्या की 90.56 प्रतिशत, हत्या के प्रयास की 88.47 प्रतिशत, चोट की 94.65 प्रतिशत, जन सेवकों पर हमलों की 89.76 प्रतिशत और अपहरण की 75.70 प्रतिशत रही। 12 वर्ष तक की बालिका के साथ बलात्कार करने वाले व्यक्तियों को मृत्युदंड की सजा देने का प्रस्ताव किया गया है। गुरुग्राम में केवल रात्रि गश्त के लिए विशेष पुलिस अधिकारियों के एक हजार पद अभी हाल ही में सृजित किए गए।

## सैनिक एवं अर्द्ध सैनिक कल्याण

112. यह गर्व का विषय है कि देश में हर दसवां सैनिक हरियाणा से है। मेरी सरकार रक्षा कर्मियों, भूतपूर्व रक्षा कर्मियों, अर्द्ध सैनिक बलों के कार्मिकों द्वारा दी गई सेवाओं और उनके द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदानों का सम्मान करते हुए इन बलों के कार्मिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार द्वारा सैन्य अभियानों और आंतरिक सुरक्षा अभियानों के दौरान रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों के शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपये और अषक्तता के मामले में 5 से 35 लाख रुपये तक की राषि प्रदान की जाती है। जहां 1 जनवरी, 2005 से 30 सितम्बर, 2014 तक केवल 6 षहीदों के आश्रितों को अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियां दी गई थी, मेरी सरकार ने 1 नवम्बर, 2014 के बाद से 178 षहीदों के आश्रितों को अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियां दी हैं।

## खेल

113. स्वर्ण जयंती वर्ष के समापन पर, सभी जिलों में **'खेल महाकुम्भ'** के नाम से खेल उत्सव का आयोजन किया गया, जिनमें 60 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों समेत सभी आयु वर्ग के लगभग 1.77 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया। एक राज्य स्तरीय **खेल महाकुंभ** का आयोजन भी किया गया, जिसमें 30,403 खिलाड़ियों ने भाग लिया और 4,519 खिलाड़ियों को पदक देकर सम्मानित किया गया।

114. मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 18 जुलाई से 30 जुलाई, 2017 तक सैमसंग में आयोजित 23वें **ग्रीष्मकालीन डेफलम्पिक्स खेलों** में भारत से 46 खिलाड़ियों के एक दल ने भाग लिया, जिनमें से 8 खिलाड़ी हरियाणा से थे तथा भारत के कुल 5 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते।

115. मेरी सरकार खेल अवसंरचना के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमने 3.25 करोड़ रुपये प्रत्येक की अनुमानित लागत से 19 जिलों में सुविधा केंद्रों के निर्माण का निर्णय लिया है, जिनका निर्माण कार्य पूरे जोरों पर है। अम्बाला स्टेडियम में 48.57 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि से एक सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ और एक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक निर्माणाधीन है। भिवानी, फरीदाबाद और करनाल में 7–10 करोड़ रुपये की लागत से एथलेटिक ट्रैक निर्माणाधीन हैं।

116. **'कैच दैम यंग'** की नीति के तहत, सरकारी और निजी स्कूलों को 345 खेल नर्सरियां (10 खेल) आवंटित की गई हैं, जिनमें कुल 8,600 विद्यार्थियों (लड़के और लड़कियां) का नामांकन किया जा रहा है।

## परिवहन

117. मेरी सरकार हरियाणा के लोगों को सुरक्षित और कुशल परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार इस वर्ष के दौरान 500 नई बसों की खरीद करेगी और 50 मानक वातानुकूलित बसों की खरीद के अलावा अन्य 500 बसें किराये पर भी लेगी। 13 नए बस टर्मिनलों का निर्माण किया जा रहा है। मानेसर, कुंडली, बहादुरगढ़, गुरुग्राम और फरीदाबाद में मल्टी मॉडल ट्रांजिट सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे।

118. वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित नागरिक सेवाओं की प्रदायगी को बेहतर बनाने के लिए, मेरी सरकार ने हरियाणा में सभी 94 स्थानों पर वेब आधारित वाहन एवं सारथी सॉफ्टवेयर लागू किया है। इस उपलब्धि को हासिल करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है।

119. मेरी सरकार ने हमारी सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए हितधारकों के सहयोग से सड़क सुरक्षा कार्यक्रम 'हरियाणा विजन जीरो' शुरू किया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य सड़क पर होने वाली मौतों की संख्या को एक वर्ष में 10 प्रतिषत तक कम करना है। चालक कौशल में सुधार लाने तथा सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए चालू वर्ष के दौरान बहादुरगढ़, रोहतक और कैथल में तीन चालक प्रषिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों में 36,568 चालकों को चालक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मेरी सरकार प्रदेष में सात नए चालक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान खोलेगी।

**पर्यटन**

120. कुरुक्षेत्र को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए, स्वदेष दर्शन योजना के अंतर्गत कृष्णा सर्किट का विकास किया जा रहा है। हम इस परियोजना के तहत ब्रह्मसरोवर, ज्योतिसर, नरकातारी, सन्निहित सरोवर तथा कुरुक्षेत्र की शहरी अवसंरचना का विकास करेंगे।

121. श्रीमद्भगवद् गीता और महाभारत से विभिन्न विषयों पर एक 3–डी मल्टीमीडिया शो, भित्ति चित्रकला, महाभारत कला, परिक्रमा पथ पर कार्य और ब्रह्मसरोवर के अग्रभाग की बिजली की व्यवस्था तथा ज्योतिसर पर मूल 48 कोस के महाभारत युद्ध–क्षेत्र की प्रतिकृति के एक थीम पार्क परिसर को 99.51 करोड़ रुपये की राषि से इस अभिनव परियोजना में षामिल किया गया है। सूचना केंद्र, गजेबो, पार्किंग, संकेत पट्टों, बेंच, बिजली, शौचालय और घाटों आदि से संबंधित निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो गया है।

122. मेरी सरकार ने **सिंधु दर्शन यात्रा** के लिए 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति, **कैलाश मानसरोवर यात्रा** के लिए 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति तथा **स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना–2017** के तहत श्री हजूर साहिब, नांदेड़, श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब और श्री पटना साहिब की यात्रा के लिए 6,000 रुपये प्रति व्यक्ति की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

123. तिलयार झील, रोहतक में एक प्रकाष एवं ध्वनि/मल्टीमीडिया शो षीघ्र ही षुरू किया जा रहा है। यादवेन्द्र उद्यान, पिंजौर के लिए प्रकाष एवं ध्वनि/मल्टी मीडिया शो भी स्वीकृत किया गया है।

**आबकारी एवं कराधान**

124. चालू वर्ष के दौरान, आबकारी समेत सभी करों से 36,706.19 करोड़ रुपये के बजटीय लक्ष्य के समक्ष, 31 जनवरी, 2018 तक कुल 29,736.48 करोड़ रुपये की राशि संग्रहित की गई है, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के संग्रह की तुलना में 4,748.51 करोड़ रुपये अर्थात 19 प्रतिषत अधिक है।

125. मेरी सरकार ने हरियाणा बकाया देनदारियों का निपटान अधिनियम, 2017 के तहत 22 जून, 2017 को **'एकमुष्त निपटान योजना'** शुरू की, जिसमें 1954 डीलरों से 2,328.36 करोड़ रुपये का बकाया वसूल किया गया। इससे मुकद्दमेबाजी में भी काफी कमी आई है। इसके अलावा, जो डेवलपर्स पहले इस योजना का विकल्प नहीं चुन पाए थे, उनसे करों की वसूली को सुविधाजनक बनाने के लिए 2 जून 2017 को ठेकेदारों के लिए हरियाणा वैकल्पिक कर अनुपालन योजना, 2016 में संशोधन किया गया। इस योजना के तहत 201 डीलरों से 833.31 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई।

126. कर चोरी को रोकने और कर व्यवस्था में अंतराल को पाटने के लिए, मेरी सरकार ने कर अनुंसधान इकाई की स्थापना की है, जो डिजिटल डेटा विश्लेषण के माध्यम से खुफिया जानकारी एकत्र करेगी।

## नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

127. मेरी सरकार ने प्रदेष की 278 गौशालाओं में 1.6 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है ताकि उनके बिजली के बिल को कम किया जा सके। मेरी सरकार ने जेलों, स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रूफ टॉप सोलर प्लांट स्थापित करने की भी योजना बनाई है। **'मनोहर ज्योति'** योजना के तहत 230.00 करोड़ रुपये की कुल लागत से 3 एलईडी प्रकाश प्रणालियों, एक डीसी संचालित सीलिंग फैन और एक मोबाइल चार्जिंग पोर्ट सिस्टम को बिजली प्रदान करने वाली एक लाख सौर आधारित गृह प्रणालियां उपलब्ध करवाई जाएंगी।

128. मेरी सरकार ने वर्ष 2017–18 के दौरान फसलों के अवशेष जलाने से रोकने और इनके प्रबंधन के लिए 22.57 करोड़ रुपये की लागत से किसानों को 6,180 पराली प्रबंधन उपकरण मुहैया करवाए हैं।

129. मेरी सरकार ने बायोगैस आधारित बिजली उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना में निजी क्षेत्रों की भागीदारी हेतु अनुकूल परिवेष सृजित करने के उद्देष्य से हाल ही में एक बायो ऊर्जा नीति तैयार की है। इस नीति का लक्ष्य बायोमास के वैज्ञानिक ढंग से

निपटान द्वारा 2022 तक 150 मेगावाट या इतनी ही क्षमता की परियोजना स्थापित करना है। चार जिलों में लगभग 50 मेगावाट क्षमता की बायोगैस आधारित बिजली उत्पादन परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी, जिससे लगभग 5.50 लाख टन वार्षिक पराली की खपत होगी।

**नागरिक उड्डयन**

130. मेरी सरकार ने तीन चरणों में हिसार हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानन हब के रूप में विकसित करने के लिए एक कार्य योजना को अंतिम रूप दिया है। आगामी आठ माह में मौजूदा हवाई क्षेत्र को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट में उन्नत किया जाएगा। दूसरे चरण में, रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग (एमआरओ), पार्किंग और सब–बेसिंग कार्यों के लिए रनवे को 4000 फुट से बढ़ाकर 9,000 फुट किया जाएगा। अंत में, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे समेत अंतर्राष्ट्रीय विमानन हब के विकास के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।

131. हरियाणा की तरफ से राष्ट्रीय राजमार्ग 21 से चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक एक वैकल्पिक और त्वरित पहुंच उपलब्ध करवाकर पंचकूला जिले में औद्योगिक/वाणिज्यिक विकास सम्भव करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

**कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण**

132. मेरी सरकार शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत, 156 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और 232 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से, बेरोजगार युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। सत्र 2017–18 से 7 नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 9 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शुरू किए गए हैं। 'मृदा जांच एवं फसल तकनीषियन' तथा 'भू–सूचना विज्ञान सहायक' के नाम से दो नए ट्रेड शुरू किए गए हैं।

133. मेरी सरकार ने हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत, 31 दिसंबर, 2017 तक विभिन्न रोजगारों में 53,760 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है। **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना** के तहत 13 प्रशिक्षण प्रदाताओं को 3,750 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य दिया गया है। 30,456 प्रशिक्षुओं को नियोजित और 8,695 प्रतिष्ठानों को पंजीकृत किया गया है। प्रति लाख जनसंख्या पर अधिकतम प्रशिक्षुओं को नियोजित करने के लिए, कौषल विकास और उद्यमिता मंत्रालय,

भारत सरकार के स्थापना दिवस के अवसर पर 9 नवंबर, 2017 को हमें **'चैंपियन ऑफ चेंज'** राष्ट्रीय पुरस्कार–2017 प्रदान किया गया।

134. अनुसूचित जाति उप–योजना स्कीम के तहत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पलवल, सिरसा, हिसार, बरवाला (हिसार), सुजापुर (महेंद्रगढ़) और टांकरी (रेवाड़ी) के विस्तार के लिए छह भवनों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, छछरौली (यमुनानगर) के भवन का निर्माण कार्य पूरा होने के अतिरिक्त **स्वर्ण जयंती योजना** के तहत भोजावास और नांगल चौधरी (महेंद्रगढ़) तथा मतलौडा व बापोली (पानीपत) में राजकीय औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थानों के चार भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

135. मेरी सरकार द्वारा पलवल के गांव दुधोला में हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के परिसर में भवन का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसके लिए अवसंरचना विकास हेतु आईआरसीओएन को आषय पत्र जारी किया गया है। विश्वविद्यालय ने फरवरी, 2017 से गुरुग्राम में अपने अस्थाई परिसर से बी.एससी. ऑटोमोटिव मकैट्रोनिक्स, बी.एससी. ऑटोमोटिव मैन्यूफैक्चरिंग जैसे उद्योग एकीकृत स्नातक कार्यक्रमों के साथ काम करना शुरू भी कर दिया है। अप्रैल, 2017 से 440 रोजगार मेले/परिसर साक्षात्कार आयोजित किए गए, जिनमें 30,935 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए।

## खान एवं भू–विज्ञान

136. मेरी सरकार ने प्रदेष में खनन गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए तत्काल कार्रवाई की, और इसके परिणामस्वरूप, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए निर्माण सामग्री उचित दरों पर उपलब्ध हो रही है। सरकार का ई–नीलामी के माध्यम से छोटे खनन क्षेत्र प्रदान करने का निर्णय खनन में रुचि रखने वाले छोटे उद्यमियों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 31 जनवरी, 2018 तक, राज्य ने खनिजों से 573.11 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है, जो प्रदेष के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक है।

## सूचना एवं जन संपर्क

137. मीडिया कर्मियों के कल्याण के लिए मेरी सरकार ने इस वर्ष से 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को मासिक पेंशन प्रदान करने की एक योजना लागू की है। अब तक 63 मीडिया कर्मियों को 10,000 रुपये की मासिक

पेंशन मिलनी शुरू भी हो गई है। मीडिया कर्मियों के लिए एक बीमा योजना भी तैयार की जा रही है, जो षीघ्र ही लागू की जाएगी।

**माननीय सभासदो**

138. दिसंबर, 2017 में, मेरी सरकार द्वारा पहली बार आयोजित **'चिंतन शिविर'** ने स्वामित्व का एक सांझा भाव और हरियाणा के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की एक मजबूत इच्छा पैदा की है। इस शिविर के दौरान मिली ऊर्जा का उपयोग करने के लिए, मेरी सरकार ने **'परिवर्तन'** योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत प्रमुख क्षेत्रों में चहुंमुखी विकास सुनिष्चित करने के लिए तीनों अखिल भारतीय सेवाओं के 46 वरिष्ठतम अधिकारियों को एक–एक खंड आबंटित किया गया है। जहां एक ओर ये अधिकारी जमीनी स्तर पर षासन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में अपने व्यापक अनुभवों से योगदान देंगे, वहीं ऐसा करने के लिए कानून बनाने हेतु हरियाणा के लोग आपकी तरफ देखते हैं। मुझे आशा है कि इस सत्र के दौरान आपका विचार–मंथन हरियाणा के लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने में एक और मील का पत्थर साबित होगा। मेरी सरकार **'सबका साथ–सबका विकास'** में विश्वास रखती है और इस पावन कार्य में आपके सहयोग की आषा करती है।

**वंदेमातरम !**

**जय हिन्द !**

## शोक प्रस्ताव

**श्री अध्यक्षः** माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी शोक प्रस्ताव रखेंगे।

**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल):** अध्यक्ष महोदय, पिछले अधिवेशन के बाद और इस अधिवेशन के शुरू होने से पहले कई माननीय साथी इस संसार को छोड़कर चले गए हैं, उनके बारे में शोक प्रस्ताव इस प्रकार से हैंः–

**श्री आत्मा सिंह गिल, भूतपूर्व संसद सदस्य**

यह सदन भूतपूर्व संसद सदस्य श्री आत्मा सिंह गिल के 5 नवम्बर, 2017 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 12 अक्तूबर, 1938 को हुआ। उन्होंने अपना राजनैतिक जीवन एक पंच के रूप में शुरू किया तथा बाद में ब्लॉक समिति, रतिया के सदस्य बने। वे वर्ष 1987 में हरियाणा विधान सभा तथा वर्ष 2004 में लोक सभा के सदस्य चुने गए। वे

समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे।

उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

## चौधरी मनफूल सिंह, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष चौधरी मनफूल सिंह के 3 नवम्बर, 2017 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 13 जनवरी, 1923 को हुआ। वे वर्ष 1967 तथा 1972 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये तथा वर्ष 1967 के दौरान हरियाणा विधान सभा के उपाध्यक्ष रहे। वे कई शैक्षणिक संस्थाओं से भी जुड़े रहे।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

## श्री फूल चंद, हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री फूल चंद के 26 नवम्बर, 2017 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 8 मार्च, 1934 को हुआ। वे वर्ष 1967 तथा 1972 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे वर्ष 1967 के दौरान लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

## चौधरी ईशर सिंह सैनी, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य चौधरी ईशर सिंह सैनी के 5 फरवरी, 2018 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 30 अक्तूबर, 1929 को हुआ। वे वर्ष 1972 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

————

## श्री प्रदीप कुमार चौधरी, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री प्रदीप कुमार चौधरी के 19 दिसम्बर, 2017 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 13 जुलाई, 1949 को हुआ। वे वर्ष 1987 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे बड़े मृदुभाषी और मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

————

## श्रीमती वीना छिब्बर, हरियाणा विधान सभा की भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा की भूतपूर्व सदस्य श्रीमती वीना छिब्बर के 17 फरवरी, 2018 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 10 अगस्त, 1949 को हुआ। वे वर्ष 2000 में हरियाणा विधान सभा की सदस्य चुनी गयी। उनकी धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि थी।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

## हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन उन सभी श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है, जिन्होंने देश की आज़ादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं :

1. श्री हरि राम आर्य, गांव कारोली, जिला रेवाड़ी।
2. श्री सिंह राम, गांव मुमताजपुर, जिला रेवाड़ी।
3. श्री चेत राम महलावत, गांव बावल, जिला रेवाड़ी।
4. श्री बुद्ध राम, गांव सेहलम, जिला महेन्द्रगढ़।

यह सदन इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों को शत–शत नमन करता है और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

## हरियाणा के शहीद

यह सदन हरियाणा के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

इन महान वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :

1. कैप्टन कपिल कुंडू, गांव रणसिका, जिला गुरुग्राम।
2. सूबेदार मेजर अशोक कुमार, गांव डीघल, जिला झज्जर।
3. सूबेदार राजकुमार, गांव अहरवां, जिला पलवल।
4. नायब सूबेदार महीपाल, गांव बव्वा, जिला रेवाड़ी।
5. पेटी ऑफिसर शमशेर सिंह, गांव बवानिया, जिला महेन्द्रगढ़।
6. सहायक उप निरीक्षक राजबीर सिंह, गांव खेड़ी जट्ट, जिला झज्जर।
7. सहायक उप निरीक्षक रामनिवास, गांव सरुपगढ़, जिला चरखी दादरी।
8. हवलदार धर्मेन्द्र, गांव खुंगाई, जिला झज्जर।
9. हवलदार हीरा सिंह, गांव ढाणी सुंदरोज, जिला रेवाड़ी।
10. हवलदार चंद्र भान, गांव किरमच, जिला करुक्षेत्र।
11. हवलदार देवेन्द्र कुमार, गांव चमनपुरा, जिला झज्जर।
12. लांस नायक योगेश, गांव गांगटान, जिला झज्जर।

13. लांस नायक सुरेंद्र, गांव नरसिंहवास, जिला चरखी दादरी।

14. लांस नायक अजीत सिंह, गांव खुडाना, जिला महेन्द्रगढ़।

15. लांस नायक विकास, गांव सुरेहती पिलानियां, जिला महेन्द्रगढ़।

16. लांस नायक नरंजन सिंह, गांव लुठेरा, जिला फतेहाबाद।

17. सिपाही फूल कुमार, गांव सिवाहा, जिला जींद।

18. सिपाही सचिन शर्मा, गांव गोयला खुर्द, जिला पानीपत।

19. सिपाही मोनू, गांव बसाना, जिला रोहतक।

20. सिपाही परगट सिंह, गांव रम्बा, जिला करनाल।

21. सिपाही दीपक कुमार, गांव आसियाकी गौरावास, जिला रेवाड़ी।

22. सिपाही जोगिन्द्र सिंह, गांव बहराना, जिला झज्जर।

यह सदन इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत–शत नमन करता है और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

यह सदन

राज्य मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी के मामा, **श्री साधु राम;**

सांसद श्री धर्मबीर सिंह के भांजे, **श्री आशीष सहरावत;**

विधायक श्री बिशम्बर सिंह के बेटे, **श्री विशाल;**

विधायक श्री जयतीर्थ दहिया की भाभी, **श्रीमती देवेन्द्र कौर;**

विधायक श्री उमेश अग्रवाल के भाई, **श्री सुभाष अग्रवाल;**

विधायक श्रीमती लतिका शर्मा के जेठ, **श्रीनिवास शर्मा;**

विधायक श्री बलकौर सिंह के पिता, **श्री बंता सिंह;**

विधायक श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास के भाई, **श्री हृदय राम;**

विधान सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री कुलबीर सिंह मलिक के भतीजे, **श्री नरेंद्र सिंह मलिक;**

पूर्व मंत्री श्री बचन सिंह आर्य के भाई, **श्री साहिब सिंह;**

पूर्व मंत्री श्री सुभाष चौधरी के भाई, **श्री विजय सिंह;**

पूर्व उप मंत्री श्री सरदार खान की पत्नी, **श्रीमती रसूली बेगम;**

पूर्व मुख्य संसदीय सचिव श्री जलेब खां की पत्नी, **श्रीमती रहमती;**

पूर्व मुख्य संसदीय सचिव श्री दूड़ा राम के साले, **श्री मुकेश कड़वासरा;**

पूर्व विधायक श्री हरी सिंह सैनी की पत्नी, **श्रीमती लक्ष्मी देवी;**

पूर्व विधायक श्री कली राम के पोते, **श्री जयंत;**

पूर्व विधायक श्री रामजीलाल डागर की भाभी, **श्रीमती ओमवती देवी;**

पूर्व विधायक चौधरी बलबीर सिंह की माता, **श्रीमती करम देवी;**

तथा

पूर्व विधायक श्री रोशन लाल आर्य की पत्नी, **श्रीमती सरला आर्य** के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

————

**श्री करण सिंह दलाल (पलवल) :** स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायधीश श्री सूर्य कांत की माता जी का भी निधन हुआ है इसलिए उनका नाम भी शोक–प्रस्ताव में शामिल कर लिया जाये। यहां मैं इस बात का भी उल्लेख करना उचित समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्यायधीश श्री सूर्य कांत से मिलकर भी अपनी संवेदनायें प्रकट की थी।

**श्री मनोहर लाल :** ठीक है, स्पीकर सर, इनके अलावा मुझे इस शोक प्रस्ताव में जोड़ने के लिए कुछ नाम और प्राप्त हुए हैं जो कि इस प्रकार से हैं :–

1. श्री मुकेश सैनी, एस.पी.ओ. ऑन ड्यूटी, गांव सिरसा खेड़ी, जिला जींद।
2. भूतपूर्व विधायक सरदार निशान सिंह जी की माता श्रीमती ज्ञान कौर
3. पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के माननीय न्यायधीश श्री सूर्य कांत जी की माता श्रीमती शशी देवी
4. डॉ. यश गुलाटी, हिन्दी विद्वान और प्रख्यात लेखक
5. श्री जय नारायण कौशिक, हिन्दी विद्वान
6. डॉ. मदन वर्मा, जो कि कुरूक्षेत्र से सम्बंधित थे
7. डॉ. हरीश चंद्र वर्मा, रोहतक के प्रख्यात विद्वान और हरियाणा के प्रथम नूर सम्मान विजेता

यह सदन इनके दुखद निधन पर भी गहरा दुख प्रकट करता है और दिवगंतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

**श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद) :** स्पीकर महोदय, सदन के नेता ने अभी जो शोक प्रस्ताव पढ़ें हैं हमारी पार्टी भी उसमें शामिल होती है और सभी उन सदस्यों को जो विधान सभा के सदस्य रहे उनके प्रति, जो भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनके भी शोक प्रस्ताव में और शहीदों के भी शोक प्रस्ताव में अपने आपको शामिल करती है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को हरियाणा के हिन्दी के प्रख्यात विद्वानों के नाम भी दिये थे जिनको माननीय मुख्यमंत्री ने अपने शोक–प्रस्ताव में शामिल किया है। इसके अलावा जो नाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने शोक–प्रस्ताव के अंत में जोड़े हैं उनके प्रति भी हमारी पार्टी अपनी हार्दिक संवेदनायें प्रकट करती है।

**श्रीमती किरण चौधरी (तोशाम) :** स्पीकर सर, अभी माननीय सदन के नेता ने जो 1 से लेकर 9 तक शोक प्रस्ताव पढ़ें हैं हमारी कांग्रेस पार्टी भी अपने आपको उनसे जोड़ती है। इसके अलावा जो नाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने शोक–प्रस्ताव के अंत में जोड़े हैं उनका भी हम समर्थन करते हैं और दिवगंतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं।

**संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) :** स्पीकर सर, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव क्रमांक 1 से लेकर 9 तक और बाद में जस्टिस सूर्य कांत शर्मा जी की माता श्रीमती शशि देवी जिनका निधन 27 फरवरी, 2018 को हुआ था, के साथ जो नाम जोड़े हैं उन सभी का हमारे सभी विधायक अनुमोदन करते हैं।

**श्री अध्यक्ष :**माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और दिवगंत आत्माओं के प्रति विभिन्न पार्टियों के सदस्यों ने अपने–अपने जो विचार प्रकट किये हैं, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूँ।

मैं सबसे पहले श्री आत्मा सिंह गिल, भूतपूर्व संसद सदस्य के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उन्होंने अपना राजनैतिक जीवन एक पंच के रूप में शुरू किया था और इसके बाद वे वर्ष 1987 में हरियाणा विधान सभा और वर्ष 2004 में लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। उन्होंने हमेशा समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गो के लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया।

मैं, चौधरी मनफूल सिंह, जोकि हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं, के निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूँ। वह वर्ष 1967 और 1972 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये थे और वे वर्ष 1967 में हरियाणा विधान सभा के उपाध्यक्ष भी रहे थे।

मैं श्री फूल चंद, हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री के दुःखद निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूँ वे वर्ष 1967 और 1972 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये थे और वर्ष 1967 में लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य राज्य मंत्री भी रहे थे उन्होंने समाज के कमजोर वर्गो के लोगो के कल्याण के लिए हमेशा कार्य किया।

मैं, चौधरी ईशर सिंह सैनी जो हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य रहे थे, के दुःखद निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूँ।

मैं, श्री प्रदीप कुमार चौधरी, जोकि हरियाणा विधान सभा के हांसी से भूतपूर्व सदस्य रहे हैं, के निधन पर भी अपनी तरफ से शोक प्रकट करता हूँ। वे बहुत ही मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे।

मैं, श्रीमती वीना छिब्बर जोकि हरियाणा विधान सभा की भूतपूर्व सदस्य रही है, के दुःखद निधन पर भी शोक प्रकट करता हूँ। मुझे भी उनके साथ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी सामाजिक कार्यो में बहुत रूचि थी।

इसके साथ ही, मैं उन महान स्वतन्त्रता सेनानियों, जिनके नाम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने शोक प्रस्ताव में लिए हैं, के दुःखद निधन पर भी अपनी तरफ से शोक प्रकट करता हूँ। इन सभी स्वतन्त्रता सेनानियों ने अपने–अपने ढंग से देश को आजाद कराने के लिए अभूतपूर्व कार्य किया।

मुझे हरियाणा के उन सभी शहीदों जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किये है तथा जिनके नाम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने अपने शोक प्रस्ताव में लिये हैं, उनकी कुर्बानी पर गहरा दुख है। मैं इन महान आत्माओं के बलिदान को कोटि–कोटि नमन करता हूँ।

इसके अतिरिक्त मैं विधायकों, पूर्व मंत्रियों, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव और पूर्व विधायकों के निजी संबंधियों के हुए दुःखद निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूँ।

मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी दिवगंत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें ताकि उनकी आत्माओं को शांति प्रदान हो सके। मैं इस सदन की भावनाएं शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचा दूंगा।

अब मैं सदन के सभी सदस्यों से विनती करूंगा कि इन महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें।

**(इस समय सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े हो कर दो मिनट का मौन धारण किया।)**

.....

## आंगनवाड़ी वर्करों/सहायकों की मांगों/आंदोलन का मामला उठाना

**श्री अभय सिंह चौटालाः** अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमने बहुत सारे कालिंग अटैन्शन नोटिस दिये हुये हैं लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि पिछले 22 दिनों से लगातार आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हैल्पर्स सरकार के खिलाफ धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने जेल भरो आंदोलन भी चलाया है। उन्होंने यह आंदोलन इसलिए चलाया है कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में कहा गया था कि हम उनको पक्का करेंगे, टैम्पोरेरी नौकरी के बजाय उनको सरकारी नौकरी देंने का काम करेंगे। सरकार के साढ़े 3 वर्ष बीत चुके हैं लेकिन अभी तक उनमें से किसी को भी पक्का नहीं किया गया है। आज भी हजारों महिलाएं चण्डीगढ़ की सड़कों पर बैठी हुई हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बात सुनी जाये तथा उनको पक्का किया जाये।

**श्री अध्यक्षः** अभय सिंह जी, आप कल इस विषय पर अपनी बात कह लेना। आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा।

## घोषणाएंः–

## (क) अध्यक्ष महोदय द्वारा
## चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची

**श्री अध्यक्षः** माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बंधी नियमों के नियम 13(1) के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापतियों के नामों की सूची में सभापति के रूप में कार्य करने के लिए नामांकित करता हूंः–

1. श्री ज्ञान चंद गुप्ता, विधायक
2. श्री आनन्द सिंह दांगी, विधायक
3. श्रीमती संतोष चौहान सारवान, विधायक
4. श्री जाकिर हुसैन, विधायक

## (ख) सचिव द्वारा

## राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी

**श्री अध्यक्ष :** अब सचिव घोषणा करेंगे ।

**श्री सचिव :** अध्यक्ष महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने मार्च, 2016, अगस्त, 2016 तथा अक्तूबर, 2017 में हुए सत्रों में पारित किए थे तथा जिन पर *राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूं ।

### मार्च सत्र, 2016

***ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2016.**

### अगस्त सत्र, 2016

**हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016.**

### अक्तूबर सत्र, 2017

1. हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक, 2017.
2. हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017.
3. हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017.
4. भारतीय स्टाम्प (हरियाणा द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017.
5. हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017.
6. गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2017.
7. हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन विधेयक, 2017.
8. हरियाणा विनियोग (सं.3) विधेयक, 2017.
9. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017.
10. हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2017.

## कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट पेश करना

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, अब मैं कार्य सलाहकार समिति द्वारा तय किए गए विभिन्न कार्यों की समय सारिणी प्रस्तुत करता हूं :–

''समिति की बैठक सोमवार, 5 मार्च, 2018 को 11.00 बजे पूर्वाह्न माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई।

समिति ने सिफारिश की कि जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निदेश नहीं देते, सत्र के दौरान, विधान सभा की बैठक सोमवार को 2.00 बजे मध्याह्न–पश्चात् आरम्भ होगी तथा 6.30 बजे सायं स्थगित होगी तथा मंगलवार, बुधवार, वीरवार तथा शुक्रवार को 10.00 बजे प्रातः आरम्भ होगी तथा 2.00 बजे मध्याह्न–पश्चात् बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

सोमवार, 5 मार्च, 2018 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के तुरंत आधा घंटा पश्चात् विधान सभा की बैठक आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी।

वीरवार, 8 मार्च, 2018 को विधान सभा की पहली बैठक 10.00 बजे प्रातः आरम्भ होगी तथा 2.00 बजे मध्याह्न–पश्चात् स्थगित होगी तथा विधान सभा की दूसरी बैठक 3.00 बजे मध्याह्न–पश्चात आरम्भ होगी तथा 7.00 बजे सायं बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

समिति ने आगे सिफारिश की कि सोमवार, 12 मार्च, 2018 को विधान सभा की बैठक 2.00 बजे मध्याह्न–पश्चात् आरम्भ होगी तथा 6.30 बजे सायं बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

कुछ चर्चा के पश्चात्, समिति ने आगे सिफारिश की कि 5 मार्च, 2018 से 9 मार्च, 2018 तथा 12 मार्च, 2018 से 15 मार्च, 2018 को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगाः–

| | |
|---|---|
| **5 मार्च, 2018 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के तुरंत आधा घंटा पश्चात् सदन की बैठक होगी।** | 1. सदन की मेज़ पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति रखना।<br>2. शोक प्रस्ताव।<br>3. कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना।<br>4. सदन की मेज़ पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले कागज–पत्र।<br>5. विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उस पर अंतिम |

| | |
|---|---|
| | प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना। |
| मंगलवार, 6 मार्च, 2018<br>(10.00 बजे प्रातः) | 1. प्रश्न काल।<br>2. नियम 121 के अधीन प्रस्ताव।<br>3. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा। |
| बुधवार, 7 मार्च, 2018<br>(10.00 बजे प्रातः) | 1. प्रश्न काल।<br>2. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण। |
| वीरवार, 8 मार्च, 2018<br>(10.00 बजे प्रातः) पहली बैठक | 1. प्रश्न काल।<br>2. गैर–सरकारी कार्य |
| वीरवार, 8 मार्च, 2018<br>(3.00 बजे मध्याह्न–पश्चात)<br>दूसरी बैठक | 1. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव का मतदान।<br>2. वर्ष 2017–2018 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) प्रस्तुत करना, चर्चा तथा मतदान। |
| शुक्रवार, 9 मार्च, 2018<br>(10.00 बजे प्रातः) | 1. प्रश्न काल।<br>2. वर्ष 2018–2019 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना। |
| शनिवार, 10 मार्च, 2018 | छुट्टी। |
| रविवार, 11 मार्च, 2018 | छुट्टी। |
| सोमवार, 12 मार्च, 2018<br>(2.00 बजे मध्याह्न–पश्चात्) | 1. प्रश्न काल।<br>2. वर्ष 2018–2019 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा।<br>3. विधान सभा समितियों की रिपोर्टें प्रस्तुत करना।<br>4. वर्ष 2017–2018 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक।<br>5. विधान कार्य। |
| मंगलवार, 13 मार्च, 2018<br>(10.00 बजे प्रातः) | 1. प्रश्न काल।<br>2. वर्ष 2018–2019 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण। |
| बुधवार, 14 मार्च, 2018<br>(10.00 बजे प्रातः) | 1. प्रश्न काल।<br>2. रखे जाने वाले कागज पत्र यदि कोई हों। |

3. वर्ष 2018–2019 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण तथा वर्ष 2018–2019 के लिए बजट अनुमानों पर तथा वर्ष 2018–2019 के लिए अनुदानों की मांगों पर वित्त मंत्री द्वारा उत्तर तथा मतदान।

वीरवार, 15 मार्च, 2018
(10.00 बजे प्रातः)

1. प्रश्न काल।
2. निरन्तर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव।
3. अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव।
4. रखे जाने वाले कागज–पत्र, यदि कोई हों।
5. विधान सभा समितियों की रिपोर्टें प्रस्तुत करना।
6. वर्ष 2018–2019 के लिए बजट अनुमानों के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक।
7. विधान कार्य।
8. कोई अन्य कार्य।

**श्री अध्यक्षः** अब संसदीय कार्य मंत्री यह प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

**संसदीय कार्य शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा):** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ–

> कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

**श्री अध्यक्षः** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

**श्री करण सिंह दलालः** अध्यक्ष महोदय, प्रायः वीरवार का दिन गैर सरकारी दिवस के रूप में माना जाता है और यह दिन गैर सरकारी कार्यों के लिए नियत होता है। जैसाकि आपने अभी सदन में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को पढ़कर सुनाया है, उसमें भी आने वाले वीरवार को गैर सरकारी दिवस के रूप में मानते हुए गैर सरकारी कार्यों के लिए नियत किया गया है, लेकिन सत्र के अंत में आने वाले वीरवार को गैर सरकारी कार्यों के लिए नियत नहीं किया गया है। इस संदर्भ में मेरा निवेदन है कि वे रेजोलुशंज जोकि 15 दिन की समयावधि वाली शर्त पूरा नहीं करते हैं, उन रेजोलुशंज को सत्र के अंत में आने वाले वीरवार को टेक अप करना

चाहिए क्योंकि इन रेजोलुशंज में स्टेट के इंट्रस्ट की अनेकों बातें हैं और कोई कंट्रोवर्शियल मुद्दे नहीं हैं।

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है–

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

.....

## ध्यानाकर्षध प्रस्तावों की सूचना

**श्रीमती किरण चौधरीः** अध्यक्ष महोदय, आंगनवाड़ी वर्क्ज इतने दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर भूखी–प्यासी बैठी हुई हैं, उनके घरों में खाने के लिए कुछ नहीं है लेकिन सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। सबके घर में महिलाएं हैं, अतः महिलाओं के प्रति संवेदना तो होनी ही चाहिए।: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पंचकुला में धरने पर बैठी हजारों आंगनवाड़ी वर्क्ज/हैल्पर्ज से संबंधित समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूँ। (शोर एवं व्यवधान) सरकार इन आंगनवाड़ी वर्क्ज/हैल्पर्ज के बारे में क्या सोच रही है? (शोर एवं व्यवधान) मैंने आंगनवाड़ी वर्क्ज/हैल्पर्ज की समस्या के संदर्भ में काम रोको प्रस्ताव और कालिंग अटैंशन नाटिस दिया है। मुझे इनका फेट बताया जाये? (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सरकार को आंगनवाड़ी वर्क्ज के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया सदन में स्पष्ट करनी चाहिए? (शोर एवं व्यवधान) पूरे हरियाणा प्रदेश से आई हुई लाखों गरीब आंगवाड़ी वर्क्ज पंचकुला में धरने पर बैठी हुई हैं, उनकी दुर्गती हो रही है। यही नहीं जिला अम्बाला में धरना दे रही आंगनवाड़ी वर्क्ज के उपर लाठी चार्ज करके, धरना करने से रोका गया है। (शोर एवं व्यवधान) सरकार को इन आंगनवाड़ी वर्क्ज के विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए?(शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** किरण जी, आज सदन का पहला दिन है अभी सदन की अनेकों बैठकें भी होनी हैं। आपने जो मामला उठाया है, सरकार की तरफ से उनको उत्तर जरूर दिया जायेगा। यही नहीं जो आपने काम रोको प्रस्ताव तथा कालिंग अटैंशन नोटिस दिया है, उन पर विचार किया जायेगा और महत्ता के हिसाब से उनको स्वीकार भी किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जब सदन में प्रश्न काल होगा तो आप इन मुद्दों

पर उस समय भी प्रश्न पूछ सकती हैं और सरकार की तरफ से इसका उत्तर अवश्य दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री करण सिंह दलालः** अध्यक्ष महोदय, मैंने भी आंगनवाड़ी वर्क्ज/हैल्पर्ज की समस्या से संबंधित कालिंग अटैंशन नोटिस दिया है, मुझे उसका फेट बताया जाये?(शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** करण जी, आपका कालिंग अटैंशन नोटिस अभी विचाराधीन है।(शोर एवं व्यवधान)

**श्री करण सिंह दलालः** अध्यक्ष महोदय, मैंने धरने पर भूखी प्यासी बैठी आंगनवाड़ी वर्क्ज के संदर्भ में अपना कालिंग अटैंशन नोटिस दिया है, मेरा अनुरोध है कि आप उसको सदन में एडमिट करने का एलान कर दीजिए ताकि कम से कम आंगनवाड़ी वर्क्ज/हैल्पर्ज को इतना तो पता चल जाये कि उनके विषय को सदन में स्वीकार कर लिया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** करण जी, देखिए मैंने आपको स्पष्ट बता दिया है कि आपका कालिंग अटैंशन नोटिस अभी विचाराधीन है। जहां तक बात इसको एडमिट करने की है, तो वह अभी संभव नहीं है, इसके बारे में कल ही कुछ बताया जा सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती किरण चौधरीः** अध्यक्ष महोदय, मैने और करण सिंह दलाल जी ने जो कालिंग अटैंशन नोटिसिज दिए हैं आपको उन्हें एडमिट करने का एलान कर देना चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** किरण जी, आप प्लीज बैठिए। इस बारे में आपके कल बता दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री ललित नागरः** अध्यक्ष महोदय, सरकार में बैठे कुछ लोगों के घर महिलाएं नहीं हैं, इसलिए संभव है कि वे महिलाओं की समस्या की तरफ ध्यान न दें लेकिन जिन घरों में महिलाएं हैं, उनको तो महिलाओं की समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपके घर में भी महिलाएं है अतः महिलाओं के सम्मान के नाम पर आपको हमारे द्वारा उठाई जा रही आंगनवाड़ी वर्क्ज की समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती किरण चौधरीः** अध्यक्ष महोदय, जब सरकार में बैठे लोग, घर–घर जायेंगे तब इन लोगों को पता चला चलेगा कि यह महिलाएं इनका क्या हाल करेंगी? (शोर एवं व्यवधान) आंगनवाड़ी वर्क्ज/हैल्पर्ज की समस्याओं से जुड़ी बात को सदन में सुना नहीं जा रहा है, यह बहुत गलत बात है। (शोर एवं व्यवधान) लंबे समय से तथा इतनी बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी वर्क्ज/हैल्पर्ज धरने पर बैठी हुई हैं, सरकार उनके बारे में क्या राय रखती है? सरकार को इसे सदन में बताना चाहिए? (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से संबंधित माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उनको इस बारे में कुछ तो बोलकर बताना चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** किरण जी, समय आने पर संबंधित मंत्री जी द्वारा सब कुछ बता दिया जायेगा और आपके प्रश्न का जवाब दिया जायेगा?(शोर एवं व्यवधान) अभी आप प्लीज बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती किरण चौधरीः** अध्यक्ष महोदय, सीधी सी बात है, यदि आप यह बता दें कि आपने मेरे द्वारा और करण सिंह दलाल जी द्वारा दिए गए कालिंग अटैंशन नोटिसिज को स्वीकार कर लिया है तो हम बैठ जायेंगे?(शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** किरण जी, जो विषय आपने उठाया है सरकार की तरफ से उसका शत–प्रतिशत जवाब दिया जायेगा, अतः आप प्लीज बैठिए।(शोर एवं व्यवधान) आज तक क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सवाल किया हो और सरकार ने उसका जवाब न दिया हो?(शोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती किरण चौधरीः** अध्यक्ष महोदय, ठीक है कि संबंधित मुद्दे पर सरकार की तरफ से जवाब दिया जायेगा लेकिन कालिंग अटैंशन नोटिसिज को तो आपके द्वारा ही स्वीकार किया जाना है, अतः आप उसको एडमिट करने की बात सदन में स्पष्ट रूप से बता दें?(शोर एवं व्यवधान) सरकार आंगनवाड़ी वर्क्ज/हैल्पर्ज पर जो अत्याचार कर रही है वह अच्छी बात नहीं है?(शोर एवं व्यवधान) इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान) सरकार ने इन आंगनवाड़ी वर्क्ज का शायद नारा नहीं सुना है? (शोर एवं व्यवधान) इनका नारा है कि "जो हमसे टकरायेगा–सीधा उपर जायेगा।"

## सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज पत्र

**श्री अध्यक्षः** माननीय सदस्यगण, अब शिक्षा मंत्री सदन के पटल पर कागज पत्र रखेंगें/पुनः रखेंगे।

**संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा)**: अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित कागज पत्र सदन के पटल पर रखता हूँ:–

हरियाणा नैदानिक स्थापन (पंजीकरण तथा विनियमन) अंगीकरण अध्यादेश, 2018 (2018 का हरियाणा अध्यादेश सं. 1)

अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित कागज पत्र सदन के पटल पर पुनः रखता हूँ:–

भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 (5) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियमावली, 1973 में संशोधन के संबंध में कार्मिक विभाग अधिसूचना सं0 जी.एस. आर.4/कांस्ट/आर्ट.320/2017, दिनांकित 27 अप्रैल, 2017 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 21/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 22/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 23/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 24/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 25/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 26/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 27/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 28/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 29/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 30/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 31/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 32/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 33/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 34/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 35/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 36/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 37/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 38/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 39/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 40/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 41/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 42/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 43/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 44/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 45/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 46/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 47/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 48/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 49/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 50/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के

अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 51/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 52/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 53/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 55/एस.टी–2, दिनांकित 5 जुलाई, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 56/एस.टी–2, दिनांकित 12 जुलाई, 2017 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 57/एस.टी–2, दिनांकित 12 जुलाई, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 58/एस.टी–2, दिनांकित 17 जुलाई, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 59/एस.टी–2, दिनांकित 17 जुलाई, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 61/एस.टी–2, दिनांकित 2 अगस्त, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 62/एस.टी–2, दिनांकित 2 अगस्त, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 63/एस.टी–2 दिनांकित 2 अगस्त, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 64/एस.टी–2, दिनांकित 2 अगस्त, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 65./एस.टी–2, दिनांकित 2 अगस्त, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 68/एस.टी–2, दिनांकित 10 अगस्त, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 69/एस.टी–2, दिनांकित 10 अगस्त, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 71/एस.टी–2, दिनांकित 18 अगस्त, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 72/एस.टी–2, दिनांकित 18 अगस्त, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 73/एस.टी–2, दिनांकित 18 अगस्त, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 74/एस.टी–2, दिनांकित 22 अगस्त, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के

अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 75/एस.टी–2, दिनांकित 22 अगस्त, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 76/एस.टी–2, दिनांकित 22 अगस्त, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 77/एस.टी–2, दिनांकित 22 अगस्त, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 78/एस.टी–2, दिनांकित 22 अगस्त, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 80/एस.टी–2, दिनांकित 5 सितम्बर, 2017 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 81/एस.टी–2, दिनांकित 6 सितम्बर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 82/एस.टी–2, दिनांकित 19 सितम्बर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 83/एस.टी–2, दिनांकित 22 सितम्बर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 84/एस.टी–2, दिनांकित 22 सितम्बर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 85/एस.टी–2, दिनांकित 22 सितम्बर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 86/एस.टी–2, दिनांकित 25 सितम्बर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 87/एस.टी–2, दिनांकित 25 सितम्बर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 88/एस.टी–2, दिनांकित 25 सितम्बर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 89/एस.टी–2, दिनांकित 25 सितम्बर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 90/एस.टी–2, दिनांकित 25 सितम्बर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 91/एस.टी–2, दिनांकित 25 सितम्बर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 92/एस.टी–2, दिनांकित 25 सितम्बर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 93/एस.टी–2, दिनांकित 27 सितम्बर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 95/एस.टी–2, दिनांकित 28 सितम्बर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के

अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 96/एस.टी–2, दिनांकित 6 अक्तूबर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 97/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 98/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 99/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 100/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 101/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 102/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 103/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 104/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 105/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 106/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 107/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 108/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 109/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 110/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 111/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 112/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 113/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 114/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्या 115/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 116/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 .

अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित कागज पत्र सदन के पटल पर रखता हूँ:–

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 117/एस.टी–2, दिनांकित 24 अक्तूबर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 118/एस.टी–2 दिनांकित 27 अक्तूबर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 119/एस.टी–2, दिनांकित 31 अक्तूबर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 120/एस.टी–2, दिनांकित 14 नवम्बर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 121/एस.टी–2, दिनांकित 14 नवम्बर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 122/एस.टी–2, दिनांकित 14 नवम्बर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 123/एस.टी–2, दिनांकित 14 नवम्बर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 124/एस.टी–2, दिनांकित 14 नवम्बर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 125/एस.टी–2, दिनांकित 14 नवम्बर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 126/एस.टी–2, दिनांकित 14 नवम्बर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 127/एस.टी–2, दिनांकित 17 नवम्बर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 128/एस.टी–2, दिनांकित 22 नवम्बर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 129/एस.टी–2, दिनांकित 22 नवम्बर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 130/एस.टी–2, दिनांकित 22 नवम्बर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 131/एस.टी–2, दिनांकित 22 नवम्बर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 132/एस.टी–2, दिनांकित 22 नवम्बर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्या 135/एस.टी–2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2017 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 1/एस.टी–2, दिनांकित 4 जनवरी, 2018 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 2/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 3/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 4/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 5/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 6/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 7/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 8/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 9/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 10/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 11/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 12/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 13/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 14/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 15/एस.टी–2, दिनांकित 11 जनवरी, 2018 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 16/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 17/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 18/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 .
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 19/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 20/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 21/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 22/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 23/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 24/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 25/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 26/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 27/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 28/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 29/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 30/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 .

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 31/एस.टी–2, दिनांकित 2 फरवरी, 2018 .

भूमि अर्जन पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 111 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा भूमि अर्जन पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2018 में संशोधन के संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग अधिसूचना संख्या एस.ओ.–1/सी.ए.30/2013/एस. 109/2018, दिनांकित 3 जनवरी, 2018 .

चिट फंड अधिनियम, 1982 की धारा 89 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा चिट फंड नियमावली, 2018 सें सम्बन्धित वित्त विभाग अधिसूचना संख्या एस.ओ.–5/सी.ए.40/1982/एस. 89/2018, दिनांकित 1 फरवरी, 2018 .

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 24 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) नियमावली 2018 से संबंधित ग्राम तथा नगर आयोजना अधिसूचना संख्या 5479, दिनांकित 9 फरवरी, 2018 .

हरियाणा तथा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 39(3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2014–2015 के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की वार्षिक रिपोर्ट ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के वर्ष 2014–2015 के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की 16वी वार्षिक रिपोर्ट ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के वर्ष 2015–2016 के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की 17वी वार्षिक रिपोर्ट ।

बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 104 (4) तथा 105 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2015–2016 के लिए हरियाणा बिजली विनियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट ।

नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 कि धारा 19–क (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2014–2015 के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन मंडल, पंचकूला की लेखा रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखे ।

नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 कि धारा 19–क (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2012–2013 के लिए हरियाणा आवासन बोर्ड, पंचकूला के लेखों का वार्षिक विवरण ।

नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 कि धारा 19–क (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2013–2014 के लिए हरियाणा आवासन बोर्ड, पंचकूला के लेखों का वार्षिक विवरण ।

## (i)

16:00 बजे

## विशेषाधिकार मामले के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति का चौथा प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उस पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, अब श्री घनश्याम दास, विधायक, चेयरपर्सन, विशेषाधिकार समिति, श्री ज्ञान चन्द गुप्ता, विधायक द्वारा श्री करण सिंह दलाल, विधायक के विरूद्ध दी गई सूचना पर अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न संबंधी विशेषाधिकार समिति का चौथा प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि सदन का अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए ।

**Chairperson, Committee on Privileges (Shri Ghan Shyam Dass):** Sir, I beg to present the Fourth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Gian Chand Gupta, MLA against Shri Karan Singh Dalal, MLA for misleading the House on 29th August, 2016, and he has stated that the 30% share of the whole amount under the Fasal Bima Yojna goes to the pocket of Ministers, which is totally false. He

has no evidence in this regard and explanation given by him is also misleading and maligned the dignity of the House.

Sir, I beg to move that the time for presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

> कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

## (ii)

## विशेषाधिकार मामले के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति का तीसरा प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उस पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, अब श्री घनश्याम दास, विधायक, चेयरपर्सन, विशेषाधिकार समिति, श्री ज्ञान चन्द गुप्ता, विधायक द्वारा श्री कुलदीप शर्मा, विधायक के विरूद्ध दी गई सूचना पर अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न संबंधी विशेषाधिकार समिति का तीसरा प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

**Chairperson, Committee on Privileges (Shri Ghan Shyam Dass):** Sir, I beg to present the Third Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Gian Chand Gupta, MLA against Shri Kuldip Sharma, MLA for levelling allegations against the such persons who are doing illegal mining under patronage of State Government. They are government functionaries. There is no any such area in the Haryana State where the illegal mining is not being done. The people who are sitting in the House, are doing such illegal mining. When he was asked

to mention the names of those persons then he expressed his inability to declare their names.

Sir, I beg to move that the time for presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

> कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

## (iii)

## विशेषाधिकार मामले के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उस पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, अब श्री घनश्याम दास, विधायक, चेयरपर्सन, विशेषाधिकार समिति, श्री श्याम सिंह राणा, विधायक द्वारा श्री केहर सिंह, विधायक के विरूद्ध दी गई सूचना पर अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न संबंधी विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

**Chairperson, Committee on Privileges (Shri Ghan Shyam Dass):** Sir, I beg to present the First Preliminary Report of the Committee of privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Shyam Singh Rana, MLA against Shri Kehar Singh, MLA for misleading the House on 25th October, 2017 by levelling allegations against Shri Gian Chand Gupta, MLA during the discussion in his speech in the session that he is collecting Rs. 300/- from each "Rehriwalas" in Panchkula, which is totally false. He has no

evidence in this regard and explanation given by him is also misleading and maligned the dignity of the House.

Sir, I beg to move that the time for presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

———

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, अब सदन मंगलवार, दिनांक 6 मार्च, 2018 प्रातः 10.00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

***16:01 बजे** **(तत्पश्चात् सभा मंगलवार, दिनांक 6 मार्च, 2018 प्रातः 10.00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई ।)**